



Regional office
Madhya Pradesh Pollution Control Board
17, Bharatpuri Ujjain, Telephone no. 0734-2510984
Email id: romppcb_ujjain@yahoo.co.in



S.No. 1410/MPPCB/RO/2024/

Ujjain, Dated 04/08/24

To,

Smt. Parul Bhadoriya
Advocate, Hon'ble N.G.T (CZ)
Bhopal (M.P),

Subject: Hon'ble NGT Original Application No. 159/2024 "Parashram
Ravtmina Vs State of M.P. & Others"

—00—

Please find enclosed report in the Matter of Original Application No. 159/2024 "Parashram Ravtmina Vs State of M.P. & Others." Against Hon'ble NGT Central Bench Bhopal order dated 15th July 2024. The next hearing of case is scheduled on date 05.09.2024.

Enclosed: As above

(H.K.Tiwari)

Regional Officer, Ujjain

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
O.A. No. 159/2024

IN THE MATTER OF:

PARASHRAM RAVTMINA

...APPLICANT

Versus

STATE OF MP & ORS

....RESPONDENTS

INDEX

| SR. | PARTICULARS | Annexure | PAGE |
|------------|--|-----------------|-------------|
| 1. | Reply by MP PCB (nodal agency) regarding the submission of Joint Committee Report | | 1-6 |
| 2. | Affidavit in support of reply | | 7-8 |
| 3. | Nomination orders of the Representatives of the Joint Committee from the Principal Chief Conservator of Forest, the Principal Secretary, Revenue Department, Govt. of M.P and the MP PCB | Annexure- A | 9-14 |
| 4. | Report submitted by Additional District Magistrate, District Neemuch vide letter no. 102/ADC/2024 dated 03.09.2024 | Annexure-B | 15-90 |
| 5. | Report submitted by submitted by Divisional Forest Officer, Divison Neemuch vide letter no. 5327 dated 02.09.2024 | Annexure-C | 91-108 |

| | | | |
|----|--|-------------|---------|
| 6. | Photographs of the inspection conducted by the Joint Committee at the site on 28.08.2024 | Annexure- D | 109-112 |
| 7. | Allotment Order dated 18.01.2024 passed by Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited | Annexure- E | 113-135 |
| 8. | Google Map of the Site | Annexure- F | 136 |

Date: 03.09.2024

Submitted by MPPCB:-
through Counsel



Place: Bhopal

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
O.A. No. 159/2024

IN THE MATTER OF:

PARASHRAM RAVTMINA

...APPLICANT

Versus

STATE OF MP & ORS

....RESPONDENTS

BRIEF REPLY BY MP PCB REGARDING SUBMISSION OF JOINT
COMMITTEE REPORT

The MP PCB most humbly submits before the Hon'ble NGT that:

1. In compliance to Hon'ble NGT in Original Application No. 159/2024 “*Parashram Ravtmina Vs State of M.P. & Others*” order dated 15/07/2024 wherein it was directed that the joint committee shall visit the site and submit factual and action taken report on the following issues raised :
 - i. Allocation and transfer of land by the State Authorities in favor of Department of Industry, Policy and Investment Promotion, Madhya Pradesh for establishment of new industrial area.
 - ii. Mutation and transfer of the land by Tehsil - Jawad, District Neemuch in favor of Industry, Policy and Investment Promotion, Madhya Pradesh.
 - iii. Renumbering of plots by the Revenue Department.
 - iv. Cancellation of the allotment of the land and the order dated 26.12.2023 passed by District Collector, Neemuch, Madhya Pradesh in Case No. 0235/A-20(3)/2023-2024.

2. In compliance to the above order the following nominations were made by respective members of the joint committee :

| Sr. | Joint Committee Member | Representative nominated | Nomination date |
|------------|---|---|------------------------|
| 1. | Principal Chief Conservator of Forest | Shri S.K. Atode, Divisional Forest Officer, Neemuch | 21.08.2024 |
| 2. | Principal Secretary, Revenue Department, Govt. of M.P | Shri Laxmi Gamad, Additional District Magistrate, Neemuch | 16.08.2024 |
| 3. | Madhya Pradesh Pollution Control Board | Shri H.K. Regional Officer, MP PCB Regional Office Ujjain | 25.07.2024 |

3. That the nominations of the representative from the Principal Chief Conservator of Forest and Principal Secretary, Revenue Department were received on which had resulted in delay over the submission of the joint committee report. That the orders of the nominations of the representative are collectively filed herewith as **Annexure-A**.
4. The committee members had inspected the site at M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd. Neemuch, Khasra no. 625/1, 626,632/2/2, Village Janakpur, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch- 458220 (M.P) on 28.08.2024.
5. During the inspection, the officials of the Revenue Department and Forest Department had different opinion regarding the nature of land. Since the

opinions of officials of Revenue Department, Neemuch and Forest Department, Neemuch were different regarding issues raised in petition, Therefore the consolidated Joint Committee Report could not be prepared. However, separate reports have been submitted by the Revenue Department and Forest Department.

6. That since, the M.P. Pollution Control Board is the nodal agency in the present case therefore the individual reports submitted by the concerned departments are being filed before that Hon'ble Tribunal through this reply.
7. That the reply of the Additional District Magistrate, District Neemuch (Revenue Department) through letter no. 100/ADC/2024 dated 03.09.2024 to the issues raised in the original application is attached as **Annexure-B**.
8. That the report/reply submitted by Divisional Forest Officer, Division Neemuch through letter no. 5327 dated 02.09.2024 to the issues raised in the original application is attached **Annexure - C**.
9. That the photographs of the inspection of site dated 28.08.2024 by the Joint Committee are attached as **Annexure-D**.
10. That it is pertinent to mention that the land in question has been allotted to M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd. through a Allotment Order dated 18.01.2024 passed by Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited, Regional Office Indore. The land has been given on lease for 99 years for the purpose of setting up of a Phytochemical/Alkloids Extraction Unit (Active Pharmaceutical Ingredient). The copy of the allotment order and the lease deed is attached as **Annexure-E**.

11. That the google map of the site is attached as **Annexure-F**.
12. That the MP PCB most humbly submits that since the issues raised in the OA is related to the Revenue and Forest Departments, Therefore in the interest of equity and justice it would be appropriate to appoint any of these Departments as nodal agency for the further proceedings, since MP PCB has no jurisdiction in the land related issues.
13. That the Hon'ble Tribunal may take this reply on record. An affidavit in support of the above reply is filed herewith.

Date: 03.09.2024

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal

through Counsel



Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

O.A. No. 159/2024


IN THE MATTER OF:

PARASHRAM RAVTMINA

Versus

STATE OF MP & ORS

....RESPONDENTS



AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REPLY

I, Hemant Kumar Tiwari, S/o Late Shri M.L. Tiwari, Aged 60 years, Regional Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Regional Office, MP PCB Ujjain and Officer-in-Charge, office at 17, Bharat Puri, Ujjain do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge for Madhya Pradesh Pollution Control Board in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and therefore competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing the present reply in the aforementioned matter to the OA filed before the Hon'ble Tribunal and I have understood the same.
3. That the contents of the Reply are true and correct to the best of my knowledge and the available office records and no material fact is concealed or suppressed.



DEPONENT


VERIFICATION

I Hemant Kumar Tiwari the above-named deponent do hereby verify that the contents of the par 1 to 3 of the affidavit above are true and correct.

Signed and verified on this 3 September 2024 at Ujjain (MP).



DEPONENT


NOTARY
DISTRICT UJJAIN (M.P.)
03 SEP 2024



Present before me on the 03 day of SEP 2024
by Hemant Kumar Tiwari s/o Late M.L. Tiwari
who has been identified by R/o office 17 Bhawad Puri Ujjain
personally known to me
whose signature (s) is/are here to appended

Place :- My Office at
UJJAIN (M.P.)
Time 4:30 A.M./P.M. at serial No. 2194


NOTARY
DISTRICT UJJAIN (M.P.)
03 SEP 2024



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

Ph. (0734) 2512101

Fax (0734) 2512102

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 4137
प्रति,

उज्जैन, दिनांक 16/8/2024

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल
नीमच

- विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंच के प्रकरण क्रं. 159/2024 (परसराम रावतमीना विरुद्ध म.प्र. शासन अन्य) मे दिनांक 15-07-2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबद।
- संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं./एफ13 /शिकायत/2024/10-11/4242-53 दिनांक 08-08-2024 ।

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, जो सीधे आपके कार्यालय को संबोधित है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंच के प्रकरण क्रं. 159/2024 (परसराम रावतमीना विरुद्ध म.प्र. शासन अन्य) मे दिनांक 15-07-2024 को आदेश हुआ है। प्रकरण का संबध नीमच जिले की जावद तहसील की भूमि को स्टेट ऑथोरिटी के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रस पॉलिसी एंड इनवेस्टमेंट प्रमोशन म.प्र. को औद्योगिक क्षेत्र बनाने हेतु Allocate/Transfer/mutate किये जाने से है।

उक्त आदेश के पालन मे क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की अध्यक्षता मे एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 1-1 प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे। उक्त प्रकरण मे वन विभाग के प्रतिनिधि के रूप मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के द्वारा आपको नामांकित किया गया है।

अतः उक्त गठित समिति के अन्य सदस्यो से चर्चा कर/स्थल भ्रमण उपरान्त निर्धारित दिनांक के पूर्व आवश्यक कार्यवाही की जाकर वरिष्ठ कार्यालय एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन



मा.प्र.
21-8-24

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

डी-ब्लॉक, 2nd फ्लोर, वन भवन, तिक रोड-2, गुलसी नगर, भोपाल, मप्र, 462003, E-mail: apccf/m@mp.gov.in, Phone no. 0755-2524277

क्रमांक/ एफ-13/ शिकायत/ 2024/ 10-11/
प्रति,

भोपाल, दिनांक

वनमंडल अधिकारी (सामान्य)
वनमंडल नीमच,
मध्य प्रदेश।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 159/2024 (परश्रम रावतमीना विरुद्ध मध्य प्रदेश व अन्य) में दिनांक 15/07/24 को पारित आदेश के अनुपालन वावत।

संदर्भ:- 1. म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, 462016 का पत्र क्रमांक/2432 दिनांक 25/07/2024.

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एफ-11/समन्वय/2024/10-11/3932 दिनांक 26/07/2024.

-----0-----


विषयांतर्गत म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, भोपाल के उक्त संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के द्वारा एन.जी.टी. भोपाल बेंच का प्रकरण क्रमांक 159/2024 (योगेन्द्र सिंह तोमर विरुद्ध म.प्र. शासन वन अन्य) में दिनांक 15/07/24 को पारित आदेश प्राप्त हुआ है।

प्रकरण का संबंध नीमच जिले की जावद तहसील की भूमि को स्टेट ऑथॉरिटी के द्वारा डीपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिस, पॉलिसी एंड इनवेस्टमेंट प्रमोशन, म.प्र. को औद्योगिक क्षेत्र बनाने हेतु Allocate/Transfer/mutate किये जाने से है।

उक्त आदेश के पालन में क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग एवं म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को ओर एक-एक प्रतिनिधि संदस्य रहेंगे। उक्त प्रकरण में वन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के द्वारा आपको नामांकित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त गठित समिति के अन्य सदस्यों से चर्चा कर 7 दिवस की अवधि में प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस प्रकरण के संबंध में उक्त संदर्भित पत्र (2) के द्वारा 3 दिवस की अवधि में आपको पूर्व में जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख जा चुका है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल


पू० क्रमांक/ एफ-13/ शिकायत/ 2024/ 10-11/ 4253
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8-8-24

1. मुख्य वन संरक्षक (उज्जैन), मध्य प्रदेश
 2. म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, 462016
 3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन
- की ओर सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्व. / वन / दिनांक / भोपाल,
दि. 8 / 8 / 2024

र. व. / वन / दिनांक / भोपाल,
दि. 8 / 8 / 2024


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल



कार्यालय कलेक्टर, जिला - नीमच (म.प्र.)

Email - dmneemuch@mp.nlc.in

कमांक / 927 / एस.सी.2 / 2024,

नीमच, दिनांक 21.08.2024

:: आदेश ::

सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, भोपाल के पत्र कमांक 2432/विधि/NGT(CZ) प्रनिबो/24, भोपाल दिनांक 25.7.2024 अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण कमांक 159/2024 रावत मीणा विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य में दिनांक 15.7.2024 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु 06 सप्ताह में संयुक्त गठित कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं तथा प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 23.8.2024 नियत है। माननीय अधिकरण द्वारा परित उक्त आदेश के पालन में रिपोर्ट तैयार करने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का उल्लेख है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट तैयार करने संबंधी कार्यवाही हेतु श्रीमती लक्ष्मी गामड़, अपर कलेक्टर, जिला नीमच को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।

(हिमांशु चन्द्रा)

कलेक्टर,

जिला-नीमच

नीमच, दिनांक 21.08.2024

कमांक / 928 / एस.सी.2 / 2024,

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्रीमती लक्ष्मी गामड़, अपर कलेक्टर, जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर,

जिला-नीमच



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016

Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com



29

क्रमांक 2433 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2024,

भोपाल, दिनांक 25 JUL 2024

// आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908(1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सल्टाईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन को (पक्षकारों के नाम) OA 159/2024 (परश्रम रावतमीना विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) भोपाल बेंच, में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- (5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा :-
 - (1) बादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिपोर्ट।
 - (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेय कॉलोनी,भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा बोर्ड के विरुद्ध पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा ।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घ शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिकारी,मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि,कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

पृ०क्र० २५३५ /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2024,
प्रतिलिपि :-

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे। कृपया बोर्ड रिटेनर के माध्यम से आदेश के अनुपालन में कार्यवाही कर रिपोर्ट मा.एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।
- (2) श्रीमती पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डायरेक्टर पर्यावरण(विधि)

भोपाल, दिनांक 25 JUL 2024

डायरेक्टर पर्यावरण(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 2432/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/24,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25 JUL 2024

1 प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल ।

2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, तुलसी नगर,
भोपाल ।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक 159/2024 (परश्रम रावतमीना विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 15.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/2024 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.07.2024 का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

" The issues raised in this application are :-

- Allocation and transfer of land by the State Authorities in favor of Department of Industry, Policy and Investment Promotion, Madhya Pradesh for establishment of new industrial area.
- Mutation and transfer of the land by Tehsil - Jawad, District Neemuch in favor of Industry, Policy and Investment Promotion, Madhya Pradesh.
- Renumbering of plots by the Revenue Department.
- Cancellation of the allotment of the land and the order dated 26.12.2023 passed by District Collector, Neemuch, Madhya Pradesh in Case No. 0235/A-20(3)/2023-2024.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application. from a Joint Committee consisting of:-

- One representative from the Principal Chief Conservator of Forest
- One representative from Principal Secretary, Revenue Department, Govt. of M.P.
- One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.

माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशानुसार 6 सप्ताह में संयुक्त गठित कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश है। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 23.08.2024 को नियत है ।

अतः समिति हेतु आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का अनुरोध है ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, उज्जैन को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिनका मोबाईल नम्बर 9425005578 है ।

संलग्न :-एनजीटी आदेश ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य/सचिव

प्रतिलिपि :-

- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन को निर्देशित किया जाता है कि गठित समिति के नामित अधिकारियों से समन्वय कर निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट तैयार कर माननीय एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करें ।
- श्रीमती पारूल भदौरिया, रिटेनर अधिवक्ता, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Office of Upper Collector Dist. Neemuch M.P.

No 102/ADC/2024

Neemuch, Date..03/09/2024

To,

Regional Officer,
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Regional Office Ujjain

Subject :- Allotment of Revenue Land of Village Janakpur Tehsil
Jawad Dist. Neemuch to MPIDC

1. Madhya Pradesh Gazette dated 25th July 1986, is annexed as **Annexure-1**. In which Surveyy number wise publication of declaration of forest land was done in total 13 villages of forest block Lasur of Tehsil Jawad in which total 26 Surveyy nos. of village Janakpur were declared as forest land.
2. Above mentioned gazette notification 26 khasra no. with total area 176.932 was declared as reserved forest in Village Janakpur.
3. When the forest authorities apply for updating revenue records as per gazette to Forest Settlement officer then it came to light that there are many typing mistakes in gazette like Survey number 479 is a private land since year 1945 (missle bandobanst) and is far away from forest land ,Survey number 495/515 does not exist in village janakpur .the last Survey number is 492/515 and also so many Survey numbers have less area according to missle bandobast year 1945 or samvat 2002 but erroneous area has been written in gazette .the detail of Survey number and area according to missle bandobast year 1945 and ownership recorded in khasra is as follows:-



| S. No. | Village Name | Survey No | Area as per publication in Gazette | Area according to Khasra Panch Sala(year 1945) | Area of publication in Gazette more than Khasra area | Area of publication in gazette less than khasra area | Ownership status as recorded in Khasra |
|--------|--------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Janakpur | 479 | 3.112 | 0.732 | 2.380 | - | Badrilal S/o Bhuwaniram Kulmi |
| 2 | Janakpur | 490 | 0.408 | 0.470 | - | 0.062 | Talai M.P Govt. |
| 3 | Janakpur | 491 | 0.004 | 0.094 | - | 0.09 | Pal M.P Govt. |
| 4 | Janakpur | 492 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 5 | Janakpur | 493 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 6 | Janakpur | 494 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 7 | Janakpur | 495 | 6.240 | 7.525 | - | 1.285 | Charnoi M.P Govt. |
| 8 | Janakpur | 496 | 1.280 | 7.525 | - | 6.245 | Charnoi M.P Govt. |
| 9 | Janakpur | 497 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 10 | Janakpur | 498 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 11 | Janakpur | 499 | 3.002 | 7.525 | - | 4.523 | Charnoi M.P Govt. |
| 12 | Janakpur | 500 | 6.112 | 7.525 | - | 1.413 | Charnoi M.P Govt. |
| 13 | Janakpur | 501 | 0.412 | 1.745 | - | 1.333 | Charnoi M.P Govt. |
| 14 | Janakpur | 502 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 15 | Janakpur | 503 | 10.06 | 1.672 | 8.388 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 16 | Janakpur | 504 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 17 | Janakpur | 505 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 18 | Janakpur | 506 | 2.002 | 5.122 | - | 3.12 | Charnoi M.P Govt. |
| 19 | Janakpur | 507 | 8.425 | 7.525 | 0.900 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 20 | Janakpur | 508 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |

[Handwritten Signature]

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 21 | Janakpur | 509 | 10.06 | 2.351 | 7.709 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 22 | Janakpur | 510 | 3.460 | 6.898 | - | 3.438 | Charnoi M.P Govt. |
| 23 | Janakpur | 511 | 4.832 | 3.554 | 1.278 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 24 | Janakpur | 512 | 6.413 | 4.233 | 2.180 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 25 | Janakpur | 513 | 10.50 | 7.243 | 3.257 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 26 | Janakpur | 495/ 515 | 10.06 | 7.225 | 2.835 | - | In village Janakpur Surveyy no. 495/515 is not there. It is 492/515 only. |
| Total | | | 176.922 | 146.689 | 51.742 | 21.509 | |

Missle bandobast khasra is annexed as **annexure 2**

4. To verify the error in Survey number and their rakba ,a joint team of sdm/forest settlement officer(FSO) jawad and forest department visited the site on dated 16/5/2000 for updating revenue records as per gazette .FSO/SDM has issued order no. 1410/RE/2000 Jawad dated 01.08.2000 in which all the typing error which were published in gazette is duly rectified and during exercise ,total 124.04 hactare [176.922 ha.-51.742ha.-0.732ha (private land)]were actually found against notified total area of 176.922 hectare .The report of above verification of year 2000 is annexed as **annexure 3** which is duly signed by halka patwari (revenue depart.)and van parishetra sahayak (forest depart)
5. The renumbering of 26 Surveyy no. of Village Janakpur was started in the year 1992 and settlement was finalized in the year dated 2001-02. Pages of renumbering provided by Revenue Department is annexed as **Annexure-4** .
6. As per renumbering list Khasra no. 479, 490 and 491 becomes Khasra no. 610,631 and 630 respectively. While Khasra no. 489, 492 to 513, 492/515 and other Khasra added to constitute Khasra no. 632 with rakba 158.690 hectares.
7. The land Surveyy no. 632 has two parts in total out of which 632/1 area is 124.04 hectares and other part 632/2 area is 34.650 hectares.



The red line showing Demarcated area between revenue and forest area was drawn on sheet no. 2/2 year 1991-92 which was signed on dated 14.03.2005 by Forest Ranger Jawad Shri J.C. Chaudhary with remark "डाली गयी लाल वन सीमा लाइन से सहमत" is annexed as **Annexure-5** . According to the red line drawn on the map, the Forest Department has determined its boundary by fencing the spot with wire.

8. The total area 124.04 hectares of Surveyy no. 632/1 was transferred to Forest Department while Surveyy no. 632/2 total area of 34.650 hectares is remained with the Revenue Department.
9. The Surveyy no. 632/2 is further divided into three part i.e. 632/2/1 rakba 3.350 hectare, **632/2/2 rakba 14.60 hectare** and 632/2/3 rakba 16.70 hectare.
- 10:Collector, Neemuch vide their order dated 26.12.2023 in case number 0235/ अ- 20(3)/2023-24/ janakpur/Jawad allotted Surveyy no. 625 rakba 1.00 hectare out of 1.990 hectare (मद गैर मुमकिन), Surveyy no. 626 rakba 2.420 hectare (मद का. का.) and Surveyy no. 632/2/2 rakba 14.600 hectare out of 34.650 hectare (मद शा. भूमि) to Industrial Policy and Investment Promotion Department aggregating total rakba of 18.02 hectare at Village Janakpur, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch is annexed as **Annexure-6**
11. In above mentioned point no. 10 Surveyy no. 625/1 is made by combining former number 483 and 486 and Surveyy no. 626 is made by combining former number 148, 149 and 147 are already under the possession of Revenue Department which also not mentioned in the notification.
12. M.P Industrial Development Corporation Limited Regional Office, Indore vide letter no. MPIDC/RO/IND/UD LAND/2024/1640 dated 18.01.2024 allotted the undeveloped land admeasuring area of 18.02 hectare at Village Janakpur, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch to M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd. Neemuch is annexed as **Annexure- 7**
13. SDM Revenue, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch submitted their report is annexed as **Annexure-8** .



14. On 30/05/2024 when forest ranger illegally intervene in the revenue land Survey number 625,626 for stopping the factory construction, then a superimposed map of revenue and forest land on same scale being prepared by revenue inspector and patwari to verify the correctness of forest map. compartment 89 of beat based bhati (scale 1/15000) is superimposed on revenue map covering four revenue village namely Jankpur, Morwan, Dadoli, Jagepur Hada (scale 1/3600, 1/4000) superimposed map is attached as annexure 4. After superimposing following points are clear which are as follows :-

- A. Compartment number 89 covers Survey number 632/1 area 124.04 ha. which is already a forest land
- B. Compartment number 89 covers so many revenue land which not at all being allotted to forest department. The Survey numbers are as follows:-

| Village | Survey no | Area (in hactare) | Ownership status |
|---------|-----------|-------------------|------------------|
| Jankpur | 193/1 | 3.650 | MP Govt. |
| Jankpur | 193/2 | 0.150 | MP Govt. |
| Jankpur | 194 | 0.910 | MP Govt. |
| Jankpur | 195 | 0.350 | MP Govt. |
| Jankpur | 196 | 0.460 | MP Govt. |
| Jankpur | 197 | 0.180 | MP Govt. |
| Jankpur | 198 | 1.380 | MP Govt. |
| Jankpur | 199 | 0.200 | MP Govt. |
| Jankpur | 200 | 0.640 | MP Govt. |
| Jankpur | 201 | 0.460 | MP Gbvt. |
| Jankpur | 202 | 1.020 | MP Govt. |
| Jankpur | 203/1 | 0.280 | MP Govt. |
| Jankpur | 203/2 | 3.820 | MP Govt. |
| Jankpur | 204 | 5.140 | MP Govt. |
| Jankpur | 205 | 0.500 | MP Govt. |
| Jankpur | 206 | 0.240 | MP Govt. |
| Jankpur | 207 | 0.160 | MP Govt. |
| Jankpur | 208 | 0.070 | MP Govt. |
| Jankpur | 209 | 0.300 | MP Govt. |
| Jankpur | 210 | 0.020 | MP Govt. |
| Jankpur | 624 | 2.100 | MP Govt. |
| Jankpur | 625 | 1.990 | MP Govt. |
| Jankpur | 626 | 2.420 | MP Govt. |
| Jankpur | 627/1 | 0.550 | MP Govt. |
| Morwan | 977/1/1 | 22.120 | MP Govt. |
| Morwan | 977/2 | 1.024 | MP Govt. |
| Morwan | 977/2/1 | 51.149 | MP Govt. |

[Handwritten signature]

| | | | |
|--------------|-------|--------|----------|
| Dadoli | 897 | 12.857 | MP Govt. |
| Dadoli | 907 | 0.491 | MP Govt. |
| Dadoli | 923/1 | 3.462 | MP Govt. |
| Dadoli | 923/2 | 4.900 | MP Govt. |
| Dadoli | 924 | 1.713 | MP Govt. |
| Dadoli | 930/1 | 0.010 | MP Govt. |
| Jagepur Hada | 106/1 | 10.821 | MP Govt. |
| Jagepur Hada | 107/1 | 12.387 | MP Govt. |

C. It also covers private land which is as follows :-

| Village | Survey no | Area (in hactare) | Ownership status |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|
| Jankpur | 627/2 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/3 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/4 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/5 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/6 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/7 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/8 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/9 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/10 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/11 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/12 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/13 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/14 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/15 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/16 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/17 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/18 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/19 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/20 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 628/1 | 0.500 | Private |
| Morwan | 977/1/6 | 0.523 | Private |
| Morwan | 977/1/2 | 0.200 | Private |
| Morwan | 977/1/3 | 0.800 | Private |
| Morwan | 977/1/4/1 | 0.582 | Private |
| Morwan | 977/1/4/2 | 0.900 | Private |
| Morwan | 977/1/5 | 0.209 | Private |
| Jagepur Hada | 106/2 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/3 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/3 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/4 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/5 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/8 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/9 | 1.045 | Private |



| | | | |
|--------------|--------|-------|---------|
| Jagepur Hada | 106/10 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/11 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/12 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/13 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/14 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/16 | 0.700 | Private |
| Jagepur Hada | 106/17 | 1.463 | Private |
| Jagepur Hada | 107/2 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/3 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/4 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/5 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/6 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/7 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/8 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/9 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/10 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/11 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/12 | 1.045 | Private |

D. Some government buildings such as BSNL tower ,panchayat bhawan gram panchayat morwan ,doodh dairy ,power grid station are built on compartment 89 ,and commercial activities like dhabas ,brick construction is also going on in compartment 89

E. Compartment number 89 also cover jagepur hada land Survey number 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/8 To 106/17, 107/2 to 107/12 which is mentioned in above Table is purely a revenue land in which 29 SC, ST category pattedharis have patta but 27 of them are restricted to occupy the land by forest officials till date. Khasra is Attached as **annexure 10.**

From the above superimposed map, it can be illustrated that the maps of forest department showing different compartment being made taking huge area against the allotted area or it can be said that they have illegal possession over the revenue land or they have wrong maps and the forest authorities did not know the base year from which the current forest map hasd been made

15. ***On 31st august 2024 ,again revenue and forest department officially visited the site and after going through boundary, map and gazette, came on conclusion that there were errors.***



in gazette which was published in 1985 and both the departments agreed to rectify the errors. For rectification, process of denotification proposal will be jointly send to the government. The panchnama prepared on 31/08/24 is being signed by SDM revenue jawad, SDO forest, naib tehsildar, jawad, deputy ranger forest jawad, beet guard forest. A copy of panchnama is attached to this report which is annexed as annexure 9

16. A file is found in janakpur patwari office on 2nd sept 2024 in which the documents of publication by the then FSO under sec 20 (उद्योषणा, संलग्न सर्वे नंबरों की सूची) which was signed by the then FSO on 14-03-1965 in which the survey number and area is correctly written. A true copy of above document is attached as **annexure 10** and The Copy of gazette of 17 august 1964 which was published under Section 4 of Indian forest act is also attached as **annexure 11**


Above Documents Reveals that FSO has done the Correct exercise and wrote the rakba in bigha and biswa but the publication in gazette has typing mistake and the rakba published in gazette is in Hectares.

As per informations and documents annexed above the land allotted to M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd. Neemuch is never handed over to the Forest Department during the settlement and is a revenue land whole land and is in continuous possession of Revenue Department since 1920. Joint proceedings of revenue and forest department are ongoing to send proposal for denotification of gazette published in 1986 to rectify the typing errors


No 103/ADC/2024

Copy -

- 1- To the Collector Neemuch Dist. Nemuch MP.


Upper Collector
Dist. Neemuch

Neemuch, Date...03/...09/2024


Upper Collector
Dist. Neemuch

| No | Subject | Page | Remark |
|-----------|---|-------------|---------------|
| 1 | Gazette dated 25th July 1986 | 1-10 | |
| 2 | Missle bandobast khasra | 11-17 | |
| 3 | The report of above verification of year 2000 | 18-22 | |
| 4 | renumbering provided by Revenue Department | 23-26 | |
| 5 | red line drawn on the map | 27 | |
| 6 | Collector, Neemuch order dated 26.12.2023 | 28-29 | |
| 7 | M.P Industrial Development Corporation Limited Regional Office, Indore letter no. MPIDC/RO/IND/UD LAND/2024/1640 dated 18.01.2024 | 30 | |
| 8 | 13. SDM Revenue, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch report | 31-38 | |
| 9 | superimposed map | 39 | |
| 10 | Attached Khasra | 40-72 | |
| 11 | Panchnama | 73 | |
| 12 | under sec 20 | 74-77 | |
| 13 | Gazette 1985 | 78-79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------|---------|---|----------|---|
| | 4. जगपुर हाड़ा | 178 | | 0.014 | |
| | | 286/1 | | 12.938 | |
| | | 287 | | 1.873 | |
| | | 288 | | 0.022 | |
| | | 289 | | 0.002 | |
| | | 290 | | 0.001 | |
| | | 291 | | | |
| | | 292/1 | | 42.250 | |
| | योग | | | 328.416 | |
| | 5. जनकपुर | 479 | | 3.112 | |
| | | 480 | | 0.408 ✓ | |
| | | 491 | | 0.004 ✓ | |
| | | 492 | | 10.060 ✓ | |
| | | 493 | | 10.060 ✓ | |
| | | 494 | | 10.060 ✓ | |
| | | 495 | | 6.240 ✓ | |
| | | 496 | | 1.280 ✓ | |
| | | 497 | | 10.060 ✓ | |
| | | 498 | | 10.060 ✓ | |
| | | 499 | | 3.002 ✓ | |
| | | 500 | | 6.112 ✓ | |
| | | 501 | | 0.412 ✓ | |
| | | 502 | | 10.060 ✓ | |
| | | 503 | | 10.060 ✓ | |
| | | 504 | | 10.060 ✓ | |
| | | 505 | | 10.060 ✓ | |
| | | 506 | | 2.002 ✓ | |
| | | 507 | | 8.425 ✓ | |
| | | 508 | | 10.060 ✓ | |
| | | 509 | | 10.060 ✓ | |
| | | 510 | | 3.460 ✓ | |
| | | 511 | | 4.832 ✓ | |
| | | 512 | | 6.413 ✓ | |
| | | 513 | | 10.500 ✓ | |
| | | 495/515 | | 10.060 ✓ | |
| | योग | | | 176.932 | |
| | 6. दडौली | 908 | | 16.284 | |
| | | 909 | | 16.480 | |
| | | 910 | | 10.060 | |
| | | 911 | | 12.325 | |
| | | 912 | | 10.060 | |
| | | 913 | | 10.060 | |
| | | 914 | | 10.410 | |
| | | 915 | | 18.750 | |
| | | 916 | | 10.112 | |
| | | 917 | | 10.060 | |
| | | 918 | | 3.210 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------|-----|-----|---|---------|---|
| | Village-9 | 179 | | | | |
| | Govindpura | 180 | | | | |
| | P.H. No. 79 | 208 | | | | |
| | | 211 | | | | |
| | | to | 183 | | 535.89 | |
| | | 240 | | | | |
| | | 243 | | | | |
| | | to | | | | |
| | | 245 | | | | |
| | | 255 | | | | |
| | | to | | | | |
| | | 276 | | | | |
| | Total .. | | | | 535.89 | |
| | Village-10 | 50 | | | | |
| | Nawabganj | to | 50 | | 243.04 | |
| | P.H. No. 81 | 87 | | | | |
| | | 93 | | | | |
| | Total .. | | | | 243.04 | |
| | Forest Block Total .. | | | | 3562.05 | |

Total of 39 Forest Block 12,728.44 Acres or 5151.02 Hectors or 19.89 Mile.

By order and in the Name of Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK MASIH, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 जून 1985

क्र. 5/52/85/वस/3.—चूंकि राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग 1 तारीख 2 अक्टोबर 1964 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9893/6398/वस/64, तारीख 17 अगस्त 1964 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई धनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

धीरे धीरे उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी, द्वारा निपटारे जा चुके हैं। और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं;


अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त धनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से आरक्षित वन घोषित करती है :—

धनुसूची

जिला—मंडसौर,
वन मण्डल—मंडसौर,

तहसील—जावद,
परिक्षेत्र—खतनगढ़।

| अ. क्र. | वन खण्ड का नाम | ग्राम का नाम | क्षेत्रफल | | सीमाएं |
|---------|----------------|--------------|-------------|-------------------|---|
| | | | खंभरा नम्बर | रकबा (हेक्टर में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सासूर | 1. भोजपुरा | 11.28/30 | 5.256 | उत्तर—ग्राम सीमा भोजपुरा चिखली, निलिया हिम्मतपुरा और सर्वे प्लान नं. 1 से 291 |
| | | | 31 | 0.020 | |
| | | | 32 | 0.003 | |
| | | | 33 | 0.410 | पूर्व—ग्राम सीमा भोजपुरा, तिलनामरा और सर्वे प्लान नं. 161 से 11 |
| | | | | 0.001 | |



अथवा ईस वॉरि मीनकी चरन डीरुसल उरुगीरुडुअनिस

राजपसल मालकान भोवा जगदुर पराना जगदुर
दिली जगदुर सावना ३००२ सुवाकिक चरन

कान द डरु, नवाडरु
रिडरु
२५ रिडरुसुडु डुडु डिरुसा
२९ डिरुसा कड डेरुसा नरुडु डेरुसा

| खसरा | | मौजा | | तहसील | | जिला | |
|---------|----------|----------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|
| क्रमांक | खसरा नं. | खसरा नं. | खसरा नं. | खसरा नं. | खसरा नं. | खसरा नं. | खसरा नं. |
| 804 | 830 | 984 | काली दे | बहादुर महराज | 68 | मुनामो राम महराज | शक 200 |
| 805 | 829 | 985 | काली दे | बहादुर महराज | 69 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |
| 806 | 831 | 986 | काली दे | बहादुर महराज | 70 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |
| 807 | 832 | 987 | काली दे | बहादुर महराज | 71 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |
| 808 | 833 | 988 | काली दे | बहादुर महराज | 72 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |
| 809 | 834 | 989 | काली दे | बहादुर महराज | 73 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |
| 810 | 835 | 990 | काली दे | बहादुर महराज | 74 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |
| 811 | 836 | 991 | काली दे | बहादुर महराज | 75 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |
| 812 | 837 | 992 | काली दे | बहादुर महराज | 76 | गणेश चन्द्र महराज | शक 200 |

| बावत | | सम्मत | |
|---------|----------|---------|-----------|
| क्रमांक | बावत नं. | क्रमांक | सम्मत नं. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 |

| खसरा | | मौजा | | तहसील | | जिला | |
|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| खसरा नंबर | | मौजा नाम | | तहसील नाम | | जिला नाम | |
| खसरा नंबर | खसरा नंबर | मौजा नाम | तहसील नाम | जिला नाम | खसरा नंबर | खसरा नंबर | खसरा नंबर |
| 823 | 824 | 600 | खसरा नंबर 9 | खसरा नंबर 9 | 823 | 824 | 825 |
| 826 | 827 | 600 | खसरा नंबर 2 | खसरा नंबर 2 | 826 | 827 | 828 |
| 829 | 830 | 820 | खसरा नंबर 10 | खसरा नंबर 10 | 829 | 830 | 831 |
| 833 | 834 | 200 | खसरा नंबर 14 | खसरा नंबर 14 | 833 | 834 | 835 |
| 838 | 839 | 1300 | खसरा नंबर 18 | खसरा नंबर 18 | 838 | 839 | 840 |
| 842 | 843 | 300 | खसरा नंबर 20 | खसरा नंबर 20 | 842 | 843 | 844 |
| 848 | 849 | 100 | खसरा नंबर 24 | खसरा नंबर 24 | 848 | 849 | 850 |
| 850 | 851 | 200 | खसरा नंबर 26 | खसरा नंबर 26 | 850 | 851 | 852 |

| खसरा | | मौजा | | तहसील | | जिला | |
|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| खसरा नंबर | | मौजा नाम | | तहसील नाम | | जिला नाम | |
| खसरा नंबर | खसरा नंबर | मौजा नाम | तहसील नाम | जिला नाम | खसरा नंबर | खसरा नंबर | खसरा नंबर |
| 823 | 824 | 600 | खसरा नंबर 9 | खसरा नंबर 9 | 823 | 824 | 825 |
| 826 | 827 | 600 | खसरा नंबर 2 | खसरा नंबर 2 | 826 | 827 | 828 |
| 829 | 830 | 820 | खसरा नंबर 10 | खसरा नंबर 10 | 829 | 830 | 831 |
| 833 | 834 | 200 | खसरा नंबर 14 | खसरा नंबर 14 | 833 | 834 | 835 |
| 838 | 839 | 1300 | खसरा नंबर 18 | खसरा नंबर 18 | 838 | 839 | 840 |
| 842 | 843 | 300 | खसरा नंबर 20 | खसरा नंबर 20 | 842 | 843 | 844 |
| 848 | 849 | 100 | खसरा नंबर 24 | खसरा नंबर 24 | 848 | 849 | 850 |
| 850 | 851 | 200 | खसरा नंबर 26 | खसरा नंबर 26 | 850 | 851 | 852 |

| खसरा | | मौजा | | तहसील | | जिला | |
|----------|----------|------|---------|--------|--------------------|-----------|---------------------------|
| क्र. सं. | खसरा नं. | रकबा | वि. सं. | श. सं. | नाम धारक या वट्टी. | पग नासिक. | नाम धारक या वट्टी का पता. |
| 891 | 850/18 | 18 | | | गोरक्ष लाल | | |
| | 850/19 | 18 | | | गोरक्ष लाल | | |
| 892 | 850/20 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 893 | 850/21 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 894 | 850/22 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 895 | 850/23 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 896 | 850/24 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 897 | 850/25 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 898 | 850/26 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 899 | 850/27 | 36 | | | बंशराम लाल | | |
| 900 | 850/28 | 36 | | | बंशराम लाल | | |

| वावत | | सम्बत | |
|----------|----------|-------|---------|
| क्र. सं. | वावत नं. | रकबा | वि. सं. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |

| खसरा | | | मोजा | | | तहसील | | | जिल्हा | | | |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| क्र. सं. | खसरा सं. | प्लॉट सं. | खसरा सं. | प्लॉट सं. | खसरा सं. | प्लॉट सं. | खसरा सं. | प्लॉट सं. | खसरा सं. | प्लॉट सं. | खसरा सं. | प्लॉट सं. |
| ४६० | ३४५ | ३४५ | | | | | | | | | | |
| ६२ | ७२ | ७२ | | | | | | | | | | |
| ४६० | ३६ | ३६ | | | | | | | | | | |
| ४६० | ७१ | ७१ | | | | | | | | | | |

सरदार लक्ष्मण
 राव सेंदना
 नाशर नं-१
 नाशर गट
 नाशर गट
 रत्न लिंगाय
 सानागाम व-गा
 लक्ष्मण कान्ठ
 कुलमो सं. ६६
 मु-१६१।

| खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | |
|----------|----|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|-----------|----|
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | | खसरा सं. | | प्लॉट सं. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

खसरा मोजा
 पुरगना
 जिल्हा महान् भारत वास्तु संभवत
 मु. ३६७

रखने के अंगुली में जोड़ी किस्मों में कोयले रफ्तार वगैरे विभाग
 के अंतर्गत है। प. सं. 33 रा. वि. सं. 2 शतक 6 नं. 100

राज्य (16-17) 1999/2000

| क्र. सं. | ग्राम नाम | सर्वेक्षण क्र. | क्षेत्रफल (घ. मी.) | क्षेत्रफल (घ. मी.) | क्षेत्रफल (घ. मी.) | | विवरण |
|------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | कुल | अधकृत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. (55/10) | | ९०९ | १६.५८० | ९.८२५ | ६.६५५ | | |
| | | ९१० | १०.०६० | ६.५२५ | ३.५३५ | | |
| | | ९११ | १२.३२५ | ८.५६१ | ३.६५५ | | |
| | | ९१२ | १०.०६० | ६.२६१ | ३.६९९ | | |
| | | ९१३ | १०.०६० | ६.३५५ | ३.६१५ | | |
| | | ९१४ | १०.५१० | ६.२१२ | ३.१९८ | | |
| | | ९१५ | १८.६५० | १३.५०३ | ५.२५० | | |
| | | ९१६ | १०.११२ | ६.०५५ | ३.०५६ | | |
| | | ९१७ | १०.०६० | ६.३२५ | ३.६३५ | | |
| | | ९१८ | ३.२१० | २.६१७ | २.६१७ | | |
| | | ९१९ | १०.०६० | ४.५६९ | ४.५११ | | |
| | | ९२० | १२.०८२ | ८.०६७ | ४.०३५ | | |
| | | ९२१ | १०.०६० | ६.०२५ | ३.०३५ | | |
| योग | | १३ | १६३.७२९ | ९६.९६० | ५६.७६० | | |
| 2. (55/10) | | ४७९ | ३.११२ | ०.६३२ | ०.६३२ | | |
| | | ४९२ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ४९३ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ४९४ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ४९६ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ४९८ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ५०२ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ५०३ | १०.०६० | १.६६२ | १.६६२ | | |
| | | ५०४ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ५०५ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ५०७ | ८.४२५ | ६.५२५ | ०.९०० | | |
| | | ५०८ | १०.०६० | ६.५२५ | २.५३५ | | |
| | | ५०९ | १०.०६० | २.३५१ | ६.५०९ | | |
| | | ५११ | ४.८३२ | ३.५५४ | १.२७८ | | |
| | ५१२ | ६.५१३ | ४.२३३ | २.१८० | | | |

विशेष विभाग नामांकन
 नाम सं. 2/4/6

विशेष विभाग नामांकन
 नाम सं. 2/4/32

पेपर (2)

| 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 |
|-------------|---|------------|---------|---------|--------|---|
| | | 493 | 90.400 | 6.283 | 3.246 | |
| | | 582 | | | | |
| | | <u>494</u> | 90.080 | 6.224 | 2.834 | |
| <u>पेपर</u> | | 96 | 948.002 | 102.280 | 49.682 | |


6.5.16.33

गायक जोड़ी की कक्षा के अनुशासक रचना में समाप्त कर
 काम वाले संवेतकदाता की सूची प. ए. नं. 33 तहसील जायद
 तालुका लोमच

| क्रमांक | ग्राम का नाम | सर्वे क्रमांक | राजपत्र संख्या (अनुशासक क्षेत्रफल) | खसरा पत्र संख्या (अनुशासक क्षेत्रफल) | क्षेत्रफल (घ. म.) |
|---------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | दसापि | १०८ | १६.२८४ | १७.१६१ | ५६।६ |
| | | १२१ | २.४२० | ४.५१७ | — |
| | | १२३ | ३.४६२ | ८.३६२ | — |
| | | १३० | ०.००१ | २४.३०० | ५।०३६ ग. म. |
| | | योग | ४ | २२.१६७ | ५४.३४० |
| 2 | जगकपु | ४१० | ०.६०८ | ०.६७० | निर्मात |
| | | ४११ | ०.००४ | ०.०१४ | पान |
| | | ४१५ | ६.२६० | ७.५२५ | ५।०३६ ग. म. |
| | | ४१६ | १.२०० | ७.५२५ | — |
| | | ४१९ | ३.००२ | ७.५२५ | — |
| | | ५०० | ६.११२ | ७.५२५ | — |
| | | ५०१ | ०.४१२ | १.७६५ | — |
| | | ५०६ | २.००२ | ५.१२२ | — |
| | | ५१० | ३.४६० | ६.८९८ | — |
| योग | ९ | २२.९२० | ५६.४२९ | — | |

(Signature)
 ७६४३३

(Signature)
 16/5/2017
 जय परिसर महापु
 जय देव, जायद

श्रीमान अनु विभागीय अधिकारी महापु जायद के कोदर क्रमांक
 १४१०/री/२००० जायद दिनांक १।५।२००० ई. में ए-नामक अर्थात्

रो-नम्बरिंग सूची

कार्य - जानेवारी दिवशी हजेरा नं. 38 तहसील - जावळ जिल्हा - महाराष्ट्र

| क्र.सं. | क्र.सं. | क्र.सं. | क्र.सं. |
|----------|---------|----------|---------|
| ३९० | ४३४ | ३९१ | ४४९ |
| ३९१ | ४३५ | ३९६ | ४६० |
| ३९२ } नो | ४३६ | ३९७ | ४६१ |
| ३९३ } नो | ४३७ | ३९८ | ४६२ |
| ३९४ } नो | ४३८ | ३९९ } नो | ४६३ |
| ३९५ } नो | ४३९ | ३९९ } नो | ४६४ |
| ३९६ } नो | ४४० | ३९९ } नो | ४६५ |
| ३९७ } नो | ४४१ | ३९९ } नो | ४६६ |
| ३९८ } नो | ४४२ | ३९९ } नो | ४६७ |
| ४०० } नो | ४४३ | ३९९ } नो | ४६८ |
| ४०० } नो | ४४४ | ३९९ } नो | ४६९ |
| ४०१ | ४४५ | ४०० | ४७० |
| ४०२ } नो | ४४६ | ४०१ | ४७१ |
| ४०३ } नो | ४४७ | ४०२ } नो | ४७२ |
| ४०४ | ४४८ | ४०२ } नो | ४७३ |
| ४०५ } नो | ४४९ | ४०५ | ४७४ |
| ४०६ } नो | ४५० | ४०६ } नो | ४७५ |
| ४०७ } नो | ४५१ | ४०६ } नो | ४७६ |
| ४०८ } नो | ४५२ | ४०६ } नो | ४७७ |
| ४०९ } नो | ४५३ | ४०६ } नो | ४७८ |
| ४१० } नो | ४५४ | ४०६ } नो | ४७९ |
| ४११ } नो | ४५५ | ४०६ } नो | ४८० |
| ४१२ } नो | ४५६ | ४१० } नो | ४८१ |
| ४१३ } नो | ४५७ | ४११ } नो | ४८२ |
| ४१४ } नो | ४५८ | ४१२ } नो | ४८३ |

सी-नम्बरिंग सूची

पञ्जाबी नम्बर व.

38

वहलवा जील

जिला

मन्दीरा

पन् 999

| क्रमांक | शान नम्बर | विवरण | कारिग नाम | शान नम्बर | विवरण |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 308 | 828 | | 822 मी | 202 | |
| 309 | 829 | | 826 मी | 290 | |
| 310 | 822 | | 820 मी | 299 | |
| 311 | 826 | | 822 मी | 299 | |
| 312 | 827 | | 825 मी | 292 | |
| 313 | 822 | | 820 मी | 293 | |
| 314 | 822 | | 820 मी | 293 | |
| 315 | 820 | | 820 मी | 298 | |
| 316 | 820 | | 820 मी | 294 | |
| 317 | 829 | | 820 मी | 295 | |
| 318 | 822 | | 820 मी | 296 | |
| 319 | 822 | | 829 मी | 297 | |
| 320 | 822 | | 822 मी | 298 | |
| 321 | 824 | | 822 | 299 | |
| 322 | 824 | | 822 मी | 220 | |
| 323 | 822 | | 822 मी | 229 | |
| 324 | 826 | | 822 मी | 222 | |
| 325 | 827 | | 822 मी | 223 | |
| 326 | 822 | | 3229 | 224 | |
| 327 | 200 | | 325 | 224 | |
| 328 | 209 | | 820 मी | 225 | |
| 329 | 202 | | 820 मी | 226 | |
| 330 | 203 | | 820 मी | 227 | |
| 331 | 208 | | 820 मी | 228 | |
| 332 | 204 | | 820 मी | 229 | |
| 333 | 205 | | 820 मी | 230 | |
| 334 | 206 | | 820 मी | 231 | |
| 335 | 207 | | 820 मी | 232 | |
| 336 | 208 | | 820 मी | 233 | |



MP Industrial Development
Corporation Limited

**MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED
REGIONAL OFFICE, INDORE**

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

No. MPIDC/RO/IND/UD LAND/2024/ 1640

INDORE, DATED : 18.1.24

ALLOTMENT ORDER

To,

M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd.
Plot No. 292/46, Shop no. 151,
Patel Plaza, Neemuch City,
Neemuch - 458441 (M.P.)
Email- info@sunlitealkaloids.com
Mob. 7303421677

Sub : Allotment of Undeveloped Land at Village Janakpur, Teh. Javad, district Neemuch (M.P.).

Ref : Letter of Intent No. 802-05 Dated 15.01.2024 & Industrial Development Corporation Ltd. Bhopal No. MPIDC / भूप्र.क्र. / 127 / 23 / 06 भोपाल दिनांक 01 / 01 / 2024 ।

Sir,

We are in receipt of your acceptance of the terms and conditions of Letter of Intent and amount deposited vide UTR No. CR-PUNB0142400 Date 16.01.2024 for Rs. 4,81,218/-, Rs. 60,15,240/- and Rs. 60,00,000/- Total Amount Rs. 66,85,737/-

We are pleased to allot you Undeveloped Land of admeasuring area 18.02 Hectare at Village Janakpur, Teh. Javad, District Neemuch (M.P.) for setting up an industrial park. Plot is surrounded by:-


| | | |
|--------------|---|------------|
| ON THE EAST | : | Govt. Land |
| ON THE WEST | : | Govt. Land |
| ON THE NORTH | : | Road |
| ON THE SOUTH | : | Govt. Land |

You are requested to:-

- Execute the lease deed in enclosed format and register the same within 60 days, all costs and expense incurred or which may be incurred for preparation, execution and registration of the lease deed, shall be borne and paid by you. You shall be required to deposit certified copy of the lease deed with this office duly registered.
- Take possession of the land within a period of seven days after completion of the formalities as at (i) above. If you fails to take possession within stipulated time it will be presumed that possession is taken on the Date of execution of lease deed.

Please note that in case you fail to fulfill the formalities/ conditions as at (i) and above within the stipulated period shown as above, this allotment order shall stand cancelled and forfeiture or refund, if any, shall be governed by the Madhya Pardesh Rajya Audyogik Bhumi Evam Audyogik Bhawan Prabandhan Niyam-2019.

Enclosed :- Coordinated boundary of the allotted area.


(Pratul Chandra Sinha)
EXECUTIVE DIRECTOR

(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)

CIN : U51102MP1977SGC001392
101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park,
Khandwa Road, INDORE - 452 001 (M.P.)
Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311
Fax No. : 0731-2972629
Website : invest.mp.gov.in | E-mail : ed.roind@mpidc.co.in



न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच, मध्यप्रदेश

क. 0235/अ-20(3)/2023-24
जनकपुर/जावद




औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
विभाग भोपाल ————— आवेदक
विरुद्ध
मध्यप्रदेश शासन ————— अनावेदक

आदेश
(दिनांक 26 -12 -2023)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक संस्था औद्योगिक नीति एवं निवेश, प्रोत्साहन विभाग भोपाल तर्फे संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव, द्वारा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम जनकपुर तह. जावद स्थित भूमि सर्वे नं. 625 रकबा 1.900 हे., सर्वे नं. 626 रकबा 2.42 हे. एवं सर्वे नं. 632/2 रकबा 34.65 हे. कुल कित्ता 03 कुल रकबा 39.06 हे. भूमि को हस्तांतरित किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2- प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र की विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /नजूल अधिकारी जावद को प्रेषित किया। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/नजूल अधिकारी द्वारा विधिवत जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित किया कि नायब तहसीलदार जावद द्वारा प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन कर, उपपंजीयक, ग्राम पंचायत से अभिमत एवं मौजा पटवारी से रिपोर्ट चाही गई। प्रश्नाधीन सर्वे नंबर पर औद्योगिक संरचना के संबंध में ग्राम पंचायत जनकपुर द्वारा आबंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं। वन विभाग से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। सम्पूर्ण भूमि राजस्व सीमा में होना पायी गई। मौजा पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम जनकपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 625 रकबा 1.990 हे. (मद गैर मुमकिन) में से 1.00 हे., सर्वे नं. 626 रकबा 2.420 हे. (मद का.का.) में से 2.420 हे., सर्वे नं. 632/2 रकबा 34.650 हे. (मद शा.भूमि) में से रकबा 14.600 हे. भूमि आबंटन योग्य है। आवेदित भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है। म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 प्रथम संस्करण वर्ष 2020 अध्याय 02 की कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के विभाग को आवेदित भूमि पर कोई कर निर्धारित नहीं होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड जावद द्वारा नायब तहसीलदार जावद के जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपपंजीयक के अभिमत तथा मौजा पटवारी की विस्तृत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार जावद के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक संस्था को आवेदित ग्राम जनकपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 625 रकबा 1.990 हे. (मद गैर मुमकिन) में से 1.00 हे., सर्वे नं. 626 रकबा 2.420 हे. (मद का. का.) में से 2.420 हे., सर्वे नं. 632/2 रकबा 34.650 हे. (मद शा.भूमि) में से रकबा 14.600 हे. कुल


कलेक्टर
जिला-नीमच (म.प्र.)

प्र.कं. 0235/अ-20(3)/2023-24

//2//

18.020 हे. भूमि औद्योगिक संरचना निर्माण हेतु नियमानुसार आबंटित किये जानें की अनुशंसा जाती है, का उल्लेखित कर प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया ।

3- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार कं. 1 - मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश के अध्याय-दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिपत्र में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक 26/12/2023 को हुई बैठक उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से औद्योगिक नीति एवं निवेश, प्रोत्साहन विभाग भोपाल को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रश्नाधीन भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है ।

4- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति व अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत के आधार पर ग्राम जनकपुर स्थित भूमि स. नं. 625 रकबा 1.990 हे. (मद गैर मुमकिन) में से 1.00 हे., सर्वे नं. 626 रकबा 2.420 हे. (मद का.का.) में से 2.420 हे., सर्वे नं. 632/2 रकबा 34.650 हे. (मद शा.भूमि) में से रकबा 14.600 हे. कुल रकबा 18.020 हे. भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय -दो कंडिका 14 के तहत औद्योगिक नीति एवं निवेश, प्रोत्साहन विभाग भोपाल को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु हस्तांतरित की जाती है।

26/12/23
(दिनेश जैन) I.A.S.

कलेक्टर
जिला निमच (म.प्र.)

नीमच, दिनांक 26-12-2023

पृ.कं. 1277 /आर.टी.सी./2023
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2- आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
- 3- कार्यकारी संचालक, म.प्र. इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, रिजनल ऑफिस, इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड/नजूल अधिकारी जावद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 5- नायब तहसीलदार जावद की ओर भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।

26/12/23
कलेक्टर
जिला-नीमच(म.प्र.)

Office of Deputy Collector Divisional Jawad
Dist. Neemuch M.P.

No ~~Reada-1~~/2024/6748

Jawad, Date 02/09/2024

To,

Collector Sir,
Dist. Neemuch MP

Subject :- Allotment of Revenue Land of Village Janakpur Tehsil
Jawad Dist. Neemuch to MPIDC

1. Madhya Pradesh Gazette dated 25th July 1986, is annexed as **Annexure-1**. In which Surveyy number wise publication of declaration of forest land was done in total 13 villages of forest block Lasur of Tehsil Jawad in which total 26 Surveyy nos. of village Janakpur were declared as forest land.
2. Above mentioned gazette notification 26 khasra no. with total area 176.932 was declared as reserved forest in Village Janakpur.
3. When the forest authorities apply for updating revenue records as per gazette to Forest Settlement officer then it came to light that there are many typing mistakes in gazette like Survey number 479 is a private land since year 1945 (missle bandobanst) and is far away from forest land ,Survey number 495/515 does not exist in village janakpur .the last Survey number is 492/515 and also so many Survey numbers have less area according to missle bandobast year 1945 or samvat 2002 but erroneus area has been written in gazette .the detail of Survey number and area according to missle bandobast year 1945 and ownership recorded in khasra is as follows:-

अनुविभागीय अधिकारी
उत्तरखण्ड जावद, जिला-नीमच (म.प्र.)

| S. No. | Village Name | Survey No | Area as per publication in Gazette | Area according to Khasra Panch Sala(year 1945) | Area of publication in Gazette more than Khasra area | Area of publication in gazette less than khasra area | Ownership status as recorded in Khasra |
|--------|--------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Janakpur | 479 | 3.112 | 0.732 | 2.380 | - | Badrilal S/o Bhuwaniram Kulmi |
| 2 | Janakpur | 490 | 0.408 | 0.470 | - | 0.062 | Talai M.P Govt. |
| 3 | Janakpur | 491 | 0.004 | 0.094 | - | 0.09 | Pal M.P Govt. |
| 4 | Janakpur | 492 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 5 | Janakpur | 493 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 6 | Janakpur | 494 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 7 | Janakpur | 495 | 6.240 | 7.525 | - | 1.285 | Charnoi M.P Govt. |
| 8 | Janakpur | 496 | 1.280 | 7.525 | - | 6.245 | Charnoi M.P Govt. |
| 9 | Janakpur | 497 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 10 | Janakpur | 498 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 11 | Janakpur | 499 | 3.002 | 7.525 | - | 4.523 | Charnoi M.P Govt. |
| 12 | Janakpur | 500 | 6.112 | 7.525 | - | 1.413 | Charnoi M.P Govt. |
| 13 | Janakpur | 501 | 0.412 | 1.745 | - | 1.333 | Charnoi M.P Govt. |
| 14 | Janakpur | 502 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 15 | Janakpur | 503 | 10.06 | 1.672 | 8.388 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 16 | Janakpur | 504 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 17 | Janakpur | 505 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 18 | Janakpur | 506 | 2.002 | 5.122 | - | 3.12 | Charnoi M.P Govt. |
| 19 | Janakpur | 507 | 8.425 | 7.525 | 0.900 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 20 | Janakpur | 508 | 10.06 | 7.525 | 2.535 | - | Charnoi M.P Govt. |



अनुविभागीय अधिकारी
अपराध जांच, जिला-बीकानेर (र.प्र.)

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 21 | Janakpur | 509 | 10.06 | 2.351 | 7.709 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 22 | Janakpur | 510 | 3.460 | 6.898 | - | 3.438 | Charnoi M.P Govt. |
| 23 | Janakpur | 511 | 4.832 | 3.554 | 1.278 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 24 | Janakpur | 512 | 6.413 | 4.233 | 2.180 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 25 | Janakpur | 513 | 10.50 | 7.243 | 3.257 | - | Charnoi M.P Govt. |
| 26 | Janakpur | 495/ 515 | 10.06 | 7.225 | 2.835 | - | In village Janakpur Surveyy no. 495/515 is not there. It is 492/515 only. |
| Total | | | 176.922 | 146.689 | 51.742 | 21.509 | |

Missle bandobast khasra is annexed as **annexure 2**

4. To verify the error in Survey number and their rakba ,a joint team of sdm/forest settlement officer(FSO) jawad and forest department visited the site on dated 16/5/2000 for updating revenue records as per gazette .FSO/SDM has issued order no. 1410/RE/2000 Jawad dated 01.08.2000 in which all the typing error which were published in gazette is duly rectified and during exercise ,total 124.04 hactare [176.922 ha.-51.742ha.-0.732ha (private land)]were actually found against notified total area of 176.922 hectare .The report of above verification of year 2000 is annexed as **annexure 3** which is duly signed by halka patwari (revenue depart.)and van parishetra sahayak (forest depart)
5. The renumbering of 26 Surveyy no. of Village Janakpur was started in the year 1992 and settlement was finalized in the year dated 2001-02. Pages of renumbering provided by Revenue Department is annexed as **Annexure-4** .
6. As per renumbering list Khasra no. 479, 490 and 491 becomes Khasra no. 610,631 and 630 respectively. While Khasra no. 489; 492 to 513; 492/515 and other Khasra added to constitute Khasra no. 632 with rakba 158.690 hectares.
7. The land Surveyy no. 632 has two parts in total out of which 632/1 area is 124.04 hectares and other part 632/2 area is 34.650 hectares.



अनुविभागाध्यक्ष अधिकारी
उपखण्ड जवाड, जिला-नीमक (म.प्र.)


The red line showing Demarcated area between revenue and forest area was drawn on sheet no. 2/2 year 1991-92 which was signed on dated 14.03.2005 by Forest Ranger Jawad Shri J.C. Chaudhary with remark "डाली गयी लाल वन सीमा लाइन से सहमत" is annexed as

Annexure-5. According to the red line drawn on the map, the Forest Department has determined its boundary by fencing the spot with wire.

8. The total area 124.04 hectares of Surveyy no. 632/1 was transferred to Forest Department while Surveyy no. 632/2 total area of 34.650 hectares is remained with the Revenue Department.
9. The Surveyy no. 632/2 is further divided into three part i.e. 632/2/1 rakba 3.350 hectare, **632/2/2 rakba 14.60 hectare** and 632/2/3 rakba 16.70 hectare.
10. Collector, Neemuch vide their order dated 26.12.2023 in case number 0235/ अ- 20(3)/2023-24/ janakpur/Jawad allotted Surveyy no. 625 rakba 1.00 hectare out of 1.990 hectare (मद गैर मुमकिन), Surveyy no. 626 rakba 2.420 hectare (मद का. का.) and Surveyy no. 632/2/2 rakba 14.600 hectare out of 34.650 hectare (मद शा. भूमि) to Industrial Policy and Investment Promotion Department aggregating total rakba of 18.02 hectare at Village Janakpur, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch is annexed as **Annexure-6**
11. In above mentioned point no. 10 Surveyy no. 625/1 is made by combining former number 483 and 486 and Surveyy no. 626 is made by combining former number 148, 149 and 147 are already under the possession of Revenue Department which also not mentioned in the notification.
12. M.P Industrial Development Corporation Limited Regional Office, Indore vide letter no. MPIDC/RO/IND/UD LAND/2024/1640 dated 18.01.2024 allotted the undeveloped land admeasuring area of 18.02 hectare at Village Janakpur, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch to M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd. Neemuch is annexed as.

Annexure- 7


13. SDM Revenue, Tehsil Jawad, Distt. Neemuch submitted their report is annexed as **Annexure-8**.


अनुविभागाय अधिकारी
उपखण्ड जावद, जिला-नीमच (म.प्र.)

14. On 30/05/2024 when forest ranger illegally intervene in the revenue land Survey number 625,626 for stopping the factory construction, then a superimposed map of revenue and forest land on same scale being prepared by revenue inspector and patwari to verify the correctness of forest map. compartment 89 of beat based bhati (scale 1/15000) is superimposed on revenue map covering four revenue village namely Jankpur, Morwan, Dadoli, Jagepur Hada (scale 1/3600, 1/4000) superimposed map is attached as annexure 4. After superimposing following points are clear which are as follows :-

- A. Compartment number 89 covers Survey number 632/1 area 124.04 ha. which is already a forest land
- B. Compartment number 89 covers so many revenue land which not at all being allotted to forest department. The Survey numbers are as follows:-


| Village | Survey no | Area (in hactare) | Ownership status |
|---------|-----------|-------------------|------------------|
| Jankpur | 193/1 | 3.650 | MP Govt. |
| Jankpur | 193/2 | 0.150 | MP Govt. |
| Jankpur | 194 | 0.910 | MP Govt. |
| Jankpur | 195 | 0.350 | MP Govt. |
| Jankpur | 196 | 0.460 | MP Govt. |
| Jankpur | 197 | 0.180 | MP Govt. |
| Jankpur | 198 | 1.380 | MP Govt. |
| Jankpur | 199 | 0.200 | MP Govt. |
| Jankpur | 200 | 0.640 | MP Govt. |
| Jankpur | 201 | 0.460 | MP Govt. |
| Jankpur | 202 | 1.020 | MP Govt. |
| Jankpur | 203/1 | 0.280 | MP Govt. |
| Jankpur | 203/2 | 3.820 | MP Govt. |
| Jankpur | 204 | 5.140 | MP Govt. |
| Jankpur | 205 | 0.500 | MP Govt. |
| Jankpur | 206 | 0.240 | MP Govt. |
| Jankpur | 207 | 0.160 | MP Govt. |
| Jankpur | 208 | 0.070 | MP Govt. |
| Jankpur | 209 | 0.300 | MP Govt. |
| Jankpur | 210 | 0.020 | MP Govt. |
| Jankpur | 624 | 2.100 | MP Govt. |
| Jankpur | 625 | 1.990 | MP Govt. |
| Jankpur | 626 | 2.420 | MP Govt. |
| Jankpur | 627/1 | 0.550 | MP Govt. |
| Morwan | 977/1/1 | 22.120 | MP Govt. |
| Morwan | 977/2 | 1.024 | MP Govt. |
| Morwan | 977/2/1 | 51.149 | MP Govt. |


 अनुविभागीय अधिकारी
 जयपुर जिल्हा, जिल्हा-नीम (म.प्र.)

| | | | |
|--------------|-------|--------|----------|
| Dadoli | 897 | 12.857 | MP Govt. |
| Dadoli | 907 | 0.491 | MP Govt. |
| Dadoli | 923/1 | 3.462 | MP Govt. |
| Dadoli | 923/2 | 4.900 | MP Govt. |
| Dadoli | 924 | 1.713 | MP Govt. |
| Dadoli | 930/1 | 0.010 | MP Govt. |
| Jagepur Hada | 106/1 | 10.821 | MP Govt. |
| Jagepur Hada | 107/1 | 12.387 | MP Govt. |

C. It also covers private land which is as follows :-

| Village | Survey no | Area (in hactare) | Ownership status |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|
| Jankpur | 627/2 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/3 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/4 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/5 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/6 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/7 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/8 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/9 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/10 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/11 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/12 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/13 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/14 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/15 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/16 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/17 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/18 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/19 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 627/20 | 0.500 | Private |
| Jankpur | 628/1 | 0.500 | Private |
| Morwan | 977/1/6 | 0.523 | Private |
| Morwan | 977/1/2 | 0.200 | Private |
| Morwan | 977/1/3 | 0.800 | Private |
| Morwan | 977/1/4/1 | 0.582 | Private |
| Morwan | 977/1/4/2 | 0.900 | Private |
| Morwan | 977/1/5 | 0.209 | Private |
| Jagepur Hada | 106/2 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/3 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/3 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/4 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/5 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/8 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/9 | 1.045 | Private |


 जयविभागा अधिकारी
 जयविभागा विभाग-विभाग (प.स.)


| | | | |
|--------------|--------|-------|---------|
| Jagepur Hada | 106/10 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/11 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/12 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/13 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/14 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 106/16 | 0.700 | Private |
| Jagepur Hada | 106/17 | 1.463 | Private |
| Jagepur Hada | 107/2 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/3 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/4 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/5 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/6 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/7 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/8 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/9 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/10 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/11 | 1.045 | Private |
| Jagepur Hada | 107/12 | 1.045 | Private |

D. Some government buildings such as BSNL tower, panchayat bhawan gram panchayat morwan, doodh dairy, power grid station are built on compartment 89, and commercial activities like dhabas, brick construction is also going on in compartment 89

E. Compartment number 89 also cover jagepur hada land Survey number 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/8 To 106/17, 107/2 to 107/12 which is mentioned in above Table is purely a revenue land in which 29 SC, ST category pattedharis have patta but 27 of them are restricted to occupy the land by forest officials till date. Khasra is Attached as **annexure 10**.

From the above superimposed map, it can be illustrated that the maps of forest department showing different compartment being made taking huge area against the allotted area or it can be said that they have illegal possession over the revenue land or they have wrong maps and the forest authorities did not know the base year from which the current forest map hasd been made

15. *On 31st august 2024, again revenue and forest department officially visited the site and after going through boundary, map and gazette, came on conclusion that there were errors*



अनुविभागीय अधिकारी
उपसहायक वरिष्ठ, जिला-नीम (म.प्र.)

in gazette which was published in 1985 and both the departments agreed to rectify the errors. For rectification, process of denotification proposal will be jointly send to the government. The panchnama prepared on 31/08/24 is being signed by SDM revenue jawad, SDO forest, naib tehsildar jawad, deputy ranger forest jawad, beet guard forest. A copy of panchnama is attached to this report which is annexed as annexure 9

16. A file is found in janakpur patwari office on 2nd sept 2024 in which the documents of publication by the then FSO under sec 20 (उदघोषणा, संलग्न सर्वे नंबरों की सूची) which was Signed by the then FSO on 14-03-1965 in which the survey number and area is correctly written. A true copy of above document is attached as **annexure 10** and The Copy of gazette of 17 august 1964 which was Published under Section 4 of Indian forest act is also is attached as **annexure 11**

Above Documents Reveals that FSO has done the Correct exercise and wrote the rakba in bigha and biswa but the publication in gazette has typing mistake and the rakba published in gazette is in Hectares.

As per informations and documents annexed above the land allotted to M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd. Neemuch is never handed over to the Forest Department during the settlement and is a revenue land whole land and is in continuous possession of Revenue Department since 1920. Joint proceedings of revenue and forest department are ongoing to send proposal for denotification of gazette published in 1986 to rectify the typing errors


अनुभगातीय अधिकारी
उपसहस्र जागत, जिला-नोयवा (म.प्र.)



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:जगोपुरहाड़ा | | | पटवारी हत्का:कुण्डला | | | तहसील:जावद | | | जिला:नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|--|-------------|-----------------------|--|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक रु. में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. प्रासंगिक भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलक्षण तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के खोरे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिर्वाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कौलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121817161 82JLC0D81AP7H0 | 107/10 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रु.6.90 | छगन पिता केशुराम जाति चमार पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-10 से 107/10 में परिवर्तित । धारा 165 7 ख के नियम लागु रहेंगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली-साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम/जोखुर/खड्डा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|-------------|-----|--|
| भू-अभिलेख संख्या | भूमि के भाग की भूमि संख्या/ब्लॉक संख्या/ब्लॉक संख्या | भू-खण्ड संख्या(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्याप्त तथा प्रतीक 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के खौरे | | 1. भूमि के सिवार्ड संबंधी प्रारूपित 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| | | | 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भातक (रु. में) | 2. शासकीय भूमि | | | | | फसल | फसल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121817172 S2JLC0D81AP7H0 | 107/11 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | गोविन्द पिता गंगाराम जाति रंगर पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-11 से 107/11 में परिवर्तित। धारा 165 7 ख के नियम लागू रहेगे |
| | | | रु.6.90 | कृषि | | | | | | | |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का:कुण्डला | | | तहसील:जावद | | | जिला:नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| भूमि के भागे की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक रू में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. प्राप्तकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का अंश 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लाम तथा प्रमीर (1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन) | फसल के-चौरे फसल के-अधीन क्षेत्रफल | 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | 1. भूमि के सिंभार संबंधी प्राप्ति 2. भूमिपर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121817137 82JLC0D81AP7H0 | 107/9 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | सीताबाई बेवा भगवानलाल जाति भील पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/8 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-9 से 107/9 में परिवर्तित । न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1706/अ-6/2023- 24, आदेश दि. 19/02/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |
| | | | | मांगीबाई पिता भगवानलाल जाति भील पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/8 | | | | | | |

(Handwritten signature)

श्रीनिवा पित्त
शिवानन्दलाल
जाति भील
पता कुण्डला जावद
नीमच मध्य प्रदेश
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय

1/8

सुनीता पित्त
शिवानन्दलाल
जाति भील
पता कुण्डला जावद
नीमच मध्य प्रदेश
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय

1/8

कृषि

केलाशीबाई बेवा
शम्भुलाल
जाति भील
पता कुण्डला जावद
नीमच मध्य प्रदेश
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय

1/8

दिनेश पित्त
शम्भुलाल
जाति भील

1/8

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | | | | | | |
| | | ₹.6,90 | | | | | | | |
| | | | अमिल पिता शम्भुलाल जाति भील पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/1 | | | | | |
| | | | शांतिबाई पिता शम्भुलाल जाति भील पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/1 | | | | | |
| | | | | | | | | | धारा 165 7 ख के नियम लागु रहेगे |

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।





खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का:कुण्डला | | | तहसील:जावद | | | जिला:नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|-------------------------|-----------------------|--|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ ब्लॉक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक दर में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. अहस्तांतरणीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (पादि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लाम तथा प्रमीर (1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन) | फसल के बौदे फसल के बौदे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121817159 82JLC0D81AP7H0 | 107/8 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | युलाकन्दाई वेवा भागीरथ जाति धमार पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-8 से 107/8 में परिवर्तित । |
| | | | | प्रकाशचंद्र पिता भागीरथ जाति धमार पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | कृषि | घीसीवाई पिता भागीरथ जाति चमार पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | रु.6.90 | मनोहरबाई पिता भागीरथ जाति चमार पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | सोनाबाई पिता भागीरथ जाति चमार पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | | | | | | | | | | | | | | | | | |

धारा 165 7 ख के
नियम लागू रहेंगे
ना.प.क्र.4/14-
15आ.दि.20/6/15से स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|--|-------------|-----------------------|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) | | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | मोरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंपन तथा प्रमीर 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के बंधे | | वर्ष: 2024-2025 |
| | | | 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है | 3. भू-राजस्व/भू-आवेक क्र. में | | | | | फसल के बंधे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121816698 82JLC0D81AP7H0 | 107/7 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | रामुबाई बेवा सीताराम जाति रेगर पता चीताखेडा जीरन नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-7 से 107/7 में परिवर्तित । न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1816/अ-6/2023- 24, आदेश दि. 08/03/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |
| | | | | इंद्रमल पिता सीताराम जाति रेगर पता चीताखेडा जीरन नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 | | | | | | |

(Handwritten signature)

| | | |
|------|--|-----|
| कृषि | वसंतीबाई पिता सीताराम जाति रेगर पता चीताखेडा जीरन नीमच मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | 1/4 |
| | रु.6.90 | |
| | केशीबाई पिता सीताराम जाति रेगर पता चीताखेडा जीरन नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 |

धारा 165 (7) ख के
उपबन्ध लागु रहेंगे

इ प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
 इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
 विधियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|-------------|-----------------------|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. प्रासंगिक भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलम्ब तथा प्रभारों, बंधकों, दृष्टिबंधकों 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के बौने | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंहाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121816687 82JLC0D81AP7H0 | 107/6 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रु.6.90 | रवि पिता मुरलीधर जाति सुनार पता जावद जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | 1 | | | | | | न्यायालय में प्रकरण क्र. 0390/अ-6/2021-22, दि. को दर्ज। न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0390/अ-6/2021-22, आदेश दि. 21/09/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-6 से 107/6 में परिवर्तित। न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1304/अ-6/2022-23, आदेश दि. 05/04/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहने |



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2021-2022 |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|--|---------------|-----------------------|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक दर में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. आसन्न भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलम्ब तथा प्रतीक 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के प्रकार | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंथार्थ संबंधी प्रवृत्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रवृत्तियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121817431 82JLC0D81AP7H0 | 107/5 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रु.6.90 | लक्ष्मण पिता शोकुल जाति बलाई पता कुण्डला जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-5 से 107/5 में परिवर्तित। धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रवृत्तियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| नाम: जगोपुरहाड़ा | | | पटवारी हत्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|--|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. आस्तिकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का अंश, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मोरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लयम तथा प्रमीर 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिर्वाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1121817148 | 107/4 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | लख्मीचन्द पिता वजेराम जाति भील पता खातीखेडा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 | | | | | | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0917/अ-6/2020-21, आदेश दि. 16/07/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/मिन-4 से 107/4 में परिवर्तित |
| | | | | मोडीराम पिता वजेराम जाति भील पता खातीखेडा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|--|-----|---|
| कृषि | भरत पिता वजोराम जाति भील पता खतीखेडा जावट नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तातरणीय | 1/2 | रु. 6,900 | लक्ष्मण पिता | 1/2 | धारा 165 (7) ख के अपबन्ध लागू रहेंगे |
| | | | | वजोराम जाति भील पता खतीखेडा जावट नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तातरणीय | | |

नोट:-

1. यह प्रश्न केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

पृष्ठ



SpeeChimE

| प्रश्न क्रमांक | प्रश्न का प्रकार | प्रश्न का विवरण | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | प्रश्न का प्रकार | प्रश्न का विवरण | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर |
| 1121816676 | 107/3 | 1.0450 | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर |
| 821LC0D81AP7H0 (S) | | | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर | प्रश्न का उत्तर |

2020/2021
 प्रश्न का उत्तर

प्रश्न क्र. 0873/
 अ-6(30)/2021-22
 अर्द्ध वित्तिक
 25/10/2021 के
 अनुसार पूर्व में खसरा
 नं. 107/विन-3 से
 107/3 में परिवर्तित ।
 न्यायालय जायाब
 तस्वीलदार के प्रकरण
 क्र. 0104/अ-6/2023-
 24, अर्द्ध वि.
 27/06/2023 के
 अनुसार भू.अभिलेख
 अद्यतित ।

(Handwritten signature)

| | | | | |
|--|----------|---|-----|---|
| | कृति | नानीबाई पुत्री माधुलाल जाति भील पता नीलिया जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/2 | |
| | रु. 5.90 | गुडडीबाई पुत्री माधुलाल जाति भील पता नीलिया जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/2 | |
| | | बहीबाई पुत्री माधुलाल जाति भील पता नीलिया जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/2 | |
| | | | | धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे |

नोट:-

- 1 यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- 2 इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक नियम 6 देखिए।

मध्यप्रदेश भू-संयोजन संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



| शाम-जगोपुरहाड़ा | पटवारी हल्का/कुण्डला | | | | तहसील/जाबद | | | जिला/गीमच | वर्ष: 2022-23 | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---|--|---|---|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक) | भूखण्ड संख्याक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-संयोजन में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासक/पिता भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का श्रेण/उसकी पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मोरखी कृषक (पति कोई तो) का नाम, प्रसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलुप्तम तथा प्रकार 1. दक्षक 2. भू-दृष्टिक 3. भू-अर्जन 4. अन्य प्रक्रियाधीन | फसल के-कारे फसल 1. खरीफ के फसल 2. रबी के फसल 3. जायद फसल 4. अन्य फसल के अधीन क्षेत्रफल | वर्ष: 2022-23 भूमि के विभाजन संबंधी प्रावधान 2- भूमिपत्र प्रवचना/वृद्ध 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में प्रावधानों में सुधार के आदेश | |
| 1121817429 | 107/2 | | 1.0450 हेक्टेयर | लागु जिला मंड्या जाति चम्पार पता जिलाया जाबद गीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.107/अिन-2 से 107/2 में परिवर्तित । |
| 82JL COD81AP7H0 | (S) | | रु.6.90 | कृषि | | | | | | | धारा 165 (7) ख के अपबन्ध लागू रहेंगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रावधानों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



Specimen

| समाप्त भू-सूचीकरण | | | परवारी हस्ताक्षर/पदनाम | | | सर्वसौदा/बाद | | | दिनांक-नीमच | वर्ष-2020/21/28 | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------------|---|--|---|---|------------------------|--|
| भूमि के भाग की सूचिका संख्या | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या) | भू-खण्ड संख्या(ब्लॉक की संख्या से) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग विवरण के लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-सूचिका संख्या | 1. भूमिसायमी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. माता/पिता का नाम 3. माता/पिता का पता | प्रत्येक भूमिसायमी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, पता/निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मोरची कृषक (यदि कोई हो) का नाम, पता/निवास का पता | भूमि पर विद्यमान तथा प्रसारित पट्टे 1. संख्या 2. प्रकार | परसत के ब्लॉक संख्या 1. परसत 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | परसत के अधीन क्षेत्रफल | भूमि के शिफ्ट संख्या/प्रसिद्धि 1. भूमि पर अंशना/पक्ष 2. भूमि पर अंशना/पक्ष 3. अन्य अभिलेखिया 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रसिद्धियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848614 | 106/17 (S) | | 1.4630 हेक्टेयर | तहसीलवाई देवा अग्रजालाल जाति भीन पता जगोपुरलडा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिसिद्धान्ती अहमदाबादराजीव | 1/4 | | | | | | न्यायालय नमूना तहसीलदादर के प्रकरण क्र. 0580/अ-6/2020-21, आदेश दि. 30/01/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । प्रकरण क्र. 0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/01/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं. 106/मिन-17 से 106/17 में परिवर्तित । |
| 82JMEBD816HJH0 | | | | | | | | | | | |

भूमिसायमी अहमदाबादराजीव

| | | | | |
|--|---------|---|-----|--|
| | | केशरबाई पिता अम्बालाल जाति भील पता जगेपुरहाडा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/1 | |
| | कृषि | | | |
| | | संतोषबाई पिता अम्बालाल जाति भील पता जगेपुरहाडा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/1 | |
| | रु.9.70 | | | धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेगे याम पंचा.कुडला के प्र.क्र.2 आ.दि.7/4/10से मत्क नामा स्वी |
| | | लीलाबाई पिता अम्बालाल जाति भील पता जगेपुरहाडा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/1 | |

नोट :-
 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:जगोपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का:कुण्डला | | | तहसील:जावद | | | जिला:नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व भू-आंकड़ों में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्थीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्याम तथा प्रभार 1. बंधक दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के खोरे फसल के खोरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | 1. भूमि के सिंघाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848625 82JMEBD816HJH0 | 106/16 (S) | | 0.7000 हेक्टेयर कृषि रु.2.00 | हजारी पिता राम जाति बंजारा पता जगोपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | | | | कुंआ (निजी) 0.0100 प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-16 से 106/16 में परिवर्तित । (यह जमीन सिंचित है) धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-सूचन संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगपुरहाड़ा | | | पटवारी हस्ता: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|---------------|---------------|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माहक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम/ माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | गोरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलगन तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के प्रकार | फसल के प्रकार | 1. भूमि के सिंचन संबंधी प्रवृत्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848131 82JMEBD816HJH0 | 106/14 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | नन्दुबाई बेवा मांगीलाल जाति बंजारा पता जगपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-14 से 106/14 में परिवर्तित |
| | | | | शम्भु पिता मांगीलाल सरमाता जाति बंजारा पता जगपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 | | | | | | (यह जमीन सिंचित है) धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे यह |
| | | | कृषि | | | | | | | | |

(Handwritten signature)

| | |
|---|-----|
| गोपाल पिता मांगीलाल सरमाता जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 |
| ₹.6.90 | |
| पप्पु पिता मांगीलाल सरमाता जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/4 |

खाता यु को बैंक शाखा
सरवानिया महाराज
दि.20/7/11से बंधक
मुक्तकिया जाता है

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगोपुरहाड़ा | | | पटवारी हत्का: कुण्डता | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-25 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---|--|--|--|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माहक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलिंग तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के प्रकार 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के प्रकार 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | 1. भूमि के विचार/संश्लेष प्रक्रिया 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848074 82JMEBD816HJH0 | 106/13 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रु.6.90 | बाबुलाल पिता नाथु जाति मेहतर पता निलिया जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-13 से 106/13 में परिवर्तित। धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

(Signature)

File



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हस्ता: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|--|--|-----------------------|---|
| भूमि के भाग की चूनिंक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-मापक (रू. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम/उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के बॉरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संरक्षी प्रणिति 2. भूमि पर सरचना/वृक्ष 3. अन्य अभिवृक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848153 82JMEBD816HJH0 | 106/12 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | कमलीबाई बेवा उन्करलाल जाति भील पता मालगढ़ जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/2 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-12 से 106/12 में परिवर्तित न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1180/ अ-6/2023-24, आदेश दि. 02/02/2024 के अनुसार भू- अभिलेख अद्यतित |
| | | | कृषि | प्रेमबाई पिता उन्करलाल जाति भील पता मालगढ़ जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/2 | | | | | | |
| | | | रू.6.90 | | | | | | | | धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहने |

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2022-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------|-------------|-----------------------|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्याम तथा प्रभार | फसल के खेते | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति |
| | | | 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है | 2. आसन्न भूमि | 2. पट्टे की अवधि | 2. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के खेते | 3. अन्य अभियुक्तियाँ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848129 82JMEBD816HJH0 | 106/11 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | उदेशम पिता नानुराम जाति भील पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश | 1 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अं-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-11 से 106/11 में परिवर्तित। |
| | | | कृषि | भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | | | | | | | धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेगे |
| | | | रु.6.90 | | | | | | | | |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

(Handwritten Signature)

प्रिंट



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व-संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|---|--|----------------------------|--|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भारक रु. में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. आस्तक्रीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलास तथा प्रभार (1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन) | फसल के खोरे फसल के खरीफ अधीन क्षेत्रफल | फसल के खरीफ अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंघात संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर अंश/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कौतम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848063 82JMEBD816HJH0 | 106/10 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रु.6.90 | प्रेमचन्द पिता ताला जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | आवेदन क्र. 2402129 7255 दिनांक 05/05/20 17 से पैक्स-दड़ोली, द्वारा प्रस्तुत, कृषि उपज का हस्तिबंधक दर्ज | | | प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-10 से 106/10 में परिवर्तित। धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे यह खाता युनियन बैंक आफ इंडिया शाखा नीमच में बंधक है यह खाता दि.17/5/18 से युनियन बैंक आफ इंडिया से बंधक मुक्त किया गया |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

पिंटे



| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---|--|--|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की द. 1 में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | गौरुपी कृषक (यदि कोई है) का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलगन तथा प्रसार प्रस्ताव (यदि कोई है) का नाम उराकी प्रस्ताव/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | फसल के ब्यौरे प्रस्ताव फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. बंधक 2. रबी 3. जायद 4. अन्य प्रक्रियाधीन | 1. भूमि के विवाद संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर सरचना / वृद्धि 3. अन्य अभिक्रियाएँ 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848658 | 106/9 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | अनसीबाई देवा भावसिंह जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/7 | | | | | | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0206/a-6/2020-21 आदेश दि. 22/09/2020 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। प्रकरण क्र. 0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं. 106/मिन-9 से 106/9 में परिवर्तित। न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0808/अ-6/2021-22, आदेश दि. 28/03/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्र. 0001/अपील/2023-24, आदेश दि. 07/03/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |
| | | | कृषि | जगदीश पिता भावसिंह जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/7 | | | | | | |
| | | | | राधेश्याम पिता भावसिंह जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/7 | | | | | | |

(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---|-----|--|--|--|---|
| | | | | गीताबाई पिता भावसिंह जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/7 | | | | |
| | | | | सुगनाबाई पिता भावसिंह जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/7 | | | | |
| | | रु.6.90 | | | | | | | |
| | | | | कंचनबाई पिता भावसिंह जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/7 | | | | |
| | | | | पार्वतीबाई पिता भावसिंह जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/7 | | | | (यह जमीन सिंचित है) धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

(Handwritten signature)



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--|
| भूमि के भाग की युनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) | | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम | गोरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम | भूमि पर वित्तगम तथा प्रभार | फसल के ब्योरे | | वर्ष के दिवसों संबंधी प्राप्ति |
| | | | 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है | 3. भू-राजस्व/भू-मिटक (रु. में) | | | | | 2. पट्टे की अवधि | 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848052 | 106/8 | | 1.0450 हेक्टेयर | | 1/6 | | | | | | |
| 82JMEBD816HJH0 | (S) | | | प्रकाश / पिता बाबुलाल जाति बंजारा पता जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/6 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-8 से 106/8 में परिवर्तित न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0564/अ-6/2021-22, आदेश दि. 22/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
| | | | | अशोक पिता बाबुलाल जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा हा.मु.अरनियापंथ (चितौड़गढ़) जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/6 | | | | | | |
| | | | कृषि | नलित पिता बाबुलाल जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा हा.मु.अरनियापंथ (चितौड़गढ़) जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-----|--|--|--|--|---|
| | | | सम्पतवाई पिता बाबुलाल जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा हा.मु.अरनियापंच (चित्तौड़गढ़) जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/6 | | | | | |
| | रु.6.90 | | कैलाशीवाई पिता बाबुलाल जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा हा.मु.अरनियापंच (चित्तौड़गढ़) जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/6 | | | | | |
| | | | पिकी पिता बाबुलाल जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा हा.मु.अरनियापंच (चित्तौड़गढ़) जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/6 | | | | | धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागु रहेंगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंट कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|--|---|-----------------------|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. आस्तिकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलास तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंथाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848669 82JMEBD816HJH0 | 106/4 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रु.6.90 | भीमा पिता छीतर जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-4 से 106/4 में परिवर्तित। धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

(Handwritten Signature)



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मोरुषी कृषक (पादि कोई ही) का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रकार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के विचारों/प्राप्ति 2. भूमि पर सरचना/वृद्धि 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848636 82JMEBD816HJH0 | 106/5 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर | नारायण पिता कवरलाल जाति भील पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/3 | | | | | | प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-5 से 106/5 में परिवर्तित। |
| | | | कृषि | शामूवाई पिता कवरलाल जाति भील पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/3 | | | | | | पारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे नामा.पजी.क्र. 1/18-19 आ.दि. 28/3/19 से स्वी. |
| | | | रु.6.90 | गुडडीवाई पिता कवरलाल जाति भील पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1/3 | | | | | | |

(Handwritten signature)



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निगरानी किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भातक रु में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुपी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलंघन तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | 1. भूमि के सिपाई संबंधी प्रसिद्धि 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848603 82JMEBD816HJH0 | 106/3 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रु.9.60 | गगाराम पिता हीरा जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | खसरा 106/ मिन-3 का रकबा 1.0450 (हे.) यूको बैंक शाखा UCO BANK DIKEN BLOCK JAWAD DISTRICT NEEMU CH MP 458226 में दि. 29/04/2019 से बंधक | | | प्रकरण क्र.0873/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-3 से 106/3 में परिवर्तित। धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेंगे यह खाता इलाहाबाद बैंक शाखा जावद दि.4/2/16से बंधक मुक्त किया जाता है |

(Handwritten Signature)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम: जगेपुरहाड़ा | | | पटवारी हल्का: कुण्डला | | | तहसील: जावद | | | जिला: नीमच | | वर्ष: 2024-2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|--|--|--|---|
| भूमि के भाग की यूनिट आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाहक रू में | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. आस्तनीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुपी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विलंमन तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के चवारे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1120848118 82JMEBD816HJH0 | 106/2 (S) | | 1.0450 हेक्टेयर कृषि रू.6.90 | धुलचंद पिता छीतर जाति बंजारा पता जगेपुरहाड़ा जावद नीमच मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 1 | | | आवेदन क्र. 2401883 4822 दिनांक 23/04/20 21 से पैक्स- सुठोली (रामनगर) द्वारा प्रस्तुत, कृषि उपज का हस्टिबंधक दर्ज | | | कुंआ (निजी) 0.0450 प्रकरण क्र.0873/ अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 25/10/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.106/मिन-2 से 106/2 में परिवर्तित। (-+ इड_इ +इर+इ- +G) (यह जमीन सिंचित है) धारा 165 (7) ख के उपबन्ध लागू रहेगे |

नोट:-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

एक पंचनामा ग्राहक जनकपुर के किसान लोक यह
 पंचनामा तस्वीक करा गैत को ही आज दि 31/08/2024 के वन एवं
 राजस्व की संयुक्त दर इत्य ग्राहक जनकपुर के इमि वन एवं राजस्व
 की सीमा का सीमांकन हेतु मांटे पर अनुविभागीय अधिकारी
 महोदय राजको जाकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय वन
 जाकर नाथव तहसीलदार महोदय जाकर, राजस्व निरीक्षण अधिकारी
 सीपी रेण्डर वन खण्ड लाहुर का प्रमले के मांटे पर उपस्थित
 हुए मांटे पर, राजस्व के नम्बो एवं वन खण्ड लाहुर के कडा
 क्रमांक 89 के नम्बो का सीलान किया एवं राजस्व ग्राहक जनकपुर
 के नम्बो अनुधार सीमांकन कर पाया है। ~~सर्व~~ सर्व क्र. 632/21, 632/2,
 632/2/3 सर्व क्र. 625/1, एवं 625/2 तथा सर्व 626 की सीमा वन सीमा
 सर्व क्र. 632/1 से बहुर पाया गया जबकी उपरोक्त उल्लेखित इमि
 वन खण्ड लाहुर के 89 कस में वन के नम्बो के आ रही है। अतः
 जो नौरी डिफिशन राजपत्र म.प्र.के दि 25 मूलार्थ 1986 को आरक्षित वन
 घोषित करने का हुआ वः मांटे पर सीलान करने पर पाया गया है
 की वन घोषित जयया नम्बर के बच्चे का मिलान नक्शा प्रकश के
 शक्य है नही हो रहा है। अतः गजर नौरी डिफिशन सुरि पूर्ण
 होने से पुनः नौरी डिफिशन एवं डिनो डिफिशन की कार्यवाही
 एवं उक्तानुसार नक्शा दुबली की कार्यवाही संयुक्त रूप से
 प्रस्तावित की जाती है।
 अतः मांटे पंचनामा लिखा को ली।

Sheeraj Sharma
Manager Sunile

R-2
(दिनांक 2024)

मिलानी पट्टा

रोजशा शाह
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व जाकर

किशोर कुमार
संबन्ध जनकपुर

राजको

राजको

मिलानी पट्टा

31-8-2024
(पत्राचार अनुसार)
एस.जी.मो.पो.2/1
वी.स.स.84

वन विभाग मध्य प्रदेश

कार्यालय वन व्यवस्थापन पदाधिकारी
(वन विधान की धारा ६ के अन्तर्गत)



घोषणा-पत्र

यह कि... तहसील के वन एवं भूमि को जो कि इस घोषणा के अंतर्गत ग्रथमूचना क्रमांक... में प्रकाशित किया गया है, इंडियन फारेस्ट एक्ट की धारा २० के अंतर्गत आरक्षित वन में गठित किये जाने के लिये प्रस्तावित किया जाता है।

यह कि ग्रन्थमूनी में दर्शित वन घोर भूमि आरक्षित वन घोषित हो जाने के पश्चात् निम्न लिखित परिणाम निकलेंगे :-
२६ (१) कोई भी व्यक्ति जो—

ऐसे वनों में निषेधित कार्य

(अ) धारा ५ के द्वारा निषेधित नहीं कटाई करेगा; या (ब) आरक्षित वन में शासन के द्वारा बनाये हुए किन्हीं भी नियमों के विरुद्ध नैनी रीति से जिये कि वने वन को क्षति पहुंचाने का भय हो, किसी आग को जलायेगा या जलती हुई छोड़ेगा या जो किसी आरक्षित वन में (स) ऐसी ऋतुओं के अतिरिक्त जिन्हें कि वन पदाधिकारी इस संबंध में विज्ञापित करें, किसी आग को जलायेगा, रखेगा या ले जायेगा; या (द) मवेशी द्वारा अतिक्रमण करेगा अथवा मवेशी चरायेगा अथवा मवेशी को अतिक्रमण करने देगा; या (ई) प्रभार से किसी वृक्ष को गिराने में अथवा काटने में अथवा इमारती लकड़ी को बसीटने में कोई हानि पहुंचावेगा; या (फ) किसी वृक्ष को गिरायेगा, बधिया करेगा, छांड़ेगा या जलावेगा अथवा उसकी छाल व पत्ती उतारेगा अथवा अन्यथा उसे हानि पहुंचावेगा; या (ग) पत्थर निकालेगा, चूना या कोयला फूंकेंगा अथवा किसी वन की उपज को एकत्रित करेगा या उस पर वस्तु निर्माण संबंधी किसी प्रकार का प्रयोग करेगा या उसे हटावेगा; या (ह) वृषि के लिये या अन्य किसी आशय के लिये किसी भूमि की छटाई करेगा या फोड़ेगा; या (इ) इस संबंध में शासन द्वारा बनाये गये किन्हीं भी नियमों का उल्लंघन कर शिकार खेलेगा, गोलीचलावेगा, मछली पकड़ेगा, पानी को विषैला करेगा या पाश या जाल लगावेगा;

तो वह वन को पहुंचाई गई हानि के लिये ऐसी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त जिसके कि दिये जाने का अपराधी ठहराने वाला न्यायालय निर्देश करे, कारावास के दण्ड से, जिसकी अवधि ६ मास तक हो सकती है या अर्थ दण्ड से जिसका परिमाण ५०० रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) इस धारा में कोई भी बात निषेध करती हुई नहीं समझी जावेगी :-

(अ) उस कार्य को जो वन पदाधिकारी की लिखित अनुमति से अथवा शासन द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधीन किया गया हो; अथवा (ब) किसी स्वत्व के प्रयोग को जो धारा १५ की उप धारा (२) पद (स) के अधीन बना हो या धारा २३ के अधीन शासन द्वारा अथवा शासन की ओर से प्रदाय या लिखित अनुबंध द्वारा उत्पन्न किया गया हो।

(३) जब वृक्ष सुरक्षित वन में इच्छापूर्वक अथवा घोर असावधानी से आग लगाई गई हो तो शासन को अधिकार होगा कि वह इस धारा के अधीन किसी दण्ड का आरोप ही क्यों न कर दिया हो, निर्देश दे कि ऐसे वन अथवा उसके किसी भाग में चरनोई अथवा वनउपज के सभी स्वत्वों के प्रयोग को बैसे समय तक रूकित कर दिया जायगा जैसा कि वह उचित समझे।

अतएव इस घोषणा-पत्र द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि या वनोपज में किसी प्रकार का स्वत्व (अधिकार) हो जैसे कि रास्ता, चरनोई, जलस्रोत, वनोपज, वृक्षों या भूमि का रनामिन्त्व एवं तत्संबंधित अन्य वस्तु वगैरे; पर प्रदर्शित करना चाहता है तो उसे अपने मांग या विरोध-पत्र के पूर्ण विवरण सहित या क्षतिपूर्क राशि के पूर्ण विवरण सहित, इस घोषणा प्रसारण तिथि से ३ माह के अन्दर अर्थात् दिनांक २०/१०/१९६५ के पूर्व किसी भी कार्यालय के दिन ११ बजे सुबह से ५ बजे शाम तक की अवधि में प्रेषित करे या भेरे समझ होकर बैसे स्वत्व के प्रकार और उस संबंध में क्षतिपूर्ति का विवरण तथा हिसाब (यदि कोई हो) प्रस्तुत या वर्णन करे। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भेरे हुलाकर एवं इस कार्यालय की मोहर के द्वारा यह घोषणा आज दिनांक २०/१०/१९६५ को प्रकाशित की जाती है।

स्थान :-
दिनांक :-

वन व्यवस्थापन पदाधिकारी,
जिला मध्य प्रदेश

वर्षी ही नव्याची ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही

49
451 रॉ

कालीन कालीन ही नव्याची नव्याची नव्याची नव्याची

| क्रमांक | पुस्तक क्रमांक | नव्याची नव्याची | नव्याची नव्याची | नव्याची नव्याची | नव्याची नव्याची |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ९०९ | ४७) | ४७) | — | ५६१५ | |
| ९१० | ३६) | ३६) | — | ५ | |
| ९११ | ४१) | ४१) | — | ॥ | |
| ९१२ | ३६) | ३६) | — | ॥ | |
| ९१३ | ३६) | ३६) | — | ॥ | |
| ९१४ | ३६॥) | ३६॥) | — | ॥ | |
| ९१५ | ६४॥)२ | ६४॥)२ | — | ॥ | |
| ९१६ | ३३॥) | ३३॥) | — | ॥ | |
| ९१७ | ३६) | ३६) | — | ॥ | |
| ९१८ | १३) | १३) | — | ॥ | |
| ९१९ | ३६) | ३६) | — | ॥ | |
| ९२० | ३०॥) | २६॥) | १०॥) | ॥ | |
| ९२१ | २४) | १०॥)३ | १३)२ | ॥ | |
| ९२२ | ३६) | ३६) | — | ॥ | |
| ९२३ | ४०) | १२॥)४ | २७)१ | ॥ | |
| ९२४ | ११६) | १४ | ११६)१ | २२०)३ | |
| ९२५ | ८२) | ४६॥)१ | ३५)४ | ५६१५ | |
| ९२६ | २१)२ | ॥) | १॥)२ | २१८०॥ | |
| ९२७ | ६०॥)३ | १७॥)४ | ४२॥)४ | ५२११॥३ | |
| ९२८ | | | | | |
| ९२९ | | | | | |
| ९३० | | | | | |
| ९३१ | | | | | |
| ९३२ | | | | | |
| ९३३ | | | | | |
| ९३४ | | | | | |
| ९३५ | | | | | |
| ९३६ | | | | | |
| ९३७ | | | | | |
| ९३८ | | | | | |
| ९३९ | | | | | |
| ९४० | | | | | |
| ९४१ | | | | | |
| ९४२ | | | | | |
| ९४३ | | | | | |
| ९४४ | | | | | |
| ९४५ | | | | | |
| ९४६ | | | | | |
| ९४७ | | | | | |
| ९४८ | | | | | |
| ९४९ | | | | | |
| ९५० | | | | | |
| ९५१ | | | | | |
| ९५२ | | | | | |
| ९५३ | | | | | |
| ९५४ | | | | | |
| ९५५ | | | | | |
| ९५६ | | | | | |
| ९५७ | | | | | |
| ९५८ | | | | | |
| ९५९ | | | | | |
| ९६० | | | | | |
| ९६१ | | | | | |
| ९६२ | | | | | |
| ९६३ | | | | | |
| ९६४ | | | | | |
| ९६५ | | | | | |
| ९६६ | | | | | |
| ९६७ | | | | | |
| ९६८ | | | | | |
| ९६९ | | | | | |
| ९७० | | | | | |
| ९७१ | | | | | |
| ९७२ | | | | | |
| ९७३ | | | | | |
| ९७४ | | | | | |
| ९७५ | | | | | |
| ९७६ | | | | | |
| ९७७ | | | | | |
| ९७८ | | | | | |
| ९७९ | | | | | |
| ९८० | | | | | |
| ९८१ | | | | | |
| ९८२ | | | | | |
| ९८३ | | | | | |
| ९८४ | | | | | |
| ९८५ | | | | | |
| ९८६ | | | | | |
| ९८७ | | | | | |
| ९८८ | | | | | |
| ९८९ | | | | | |
| ९९० | | | | | |
| ९९१ | | | | | |
| ९९२ | | | | | |
| ९९३ | | | | | |
| ९९४ | | | | | |
| ९९५ | | | | | |
| ९९६ | | | | | |
| ९९७ | | | | | |
| ९९८ | | | | | |
| ९९९ | | | | | |
| १००० | | | | | |

Prashant
Sankar
P. S. S. S.
Date
1978

लाभ रकम रतन गड १००२११ २०५८

| क्र.सं. | कुल रकम | वन सीमा में लिखा गया रकम | बाह्य दायी गमा रकम | नोट प्रत | टिप्पणियाँ |
|---------|---------|--------------------------|--------------------|----------|-------------|
| ४०० | ३६) | ३५)४ | ११)१ | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०१ | ३६) | २०११)२ | १५)३ | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०६ | ३६) | ५)३ | ३०११)२ | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०७ | ३६) | ११) | २५) | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०८ | ३६) | १९) | १७) | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०९ | ८)२ | २११) | २१)२ | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०९ | १४) | १३)१ | १४ | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०३ | ६११)४ | ६११)४ | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०४ | ३६) | ३६) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०६ | ३६) | ३६) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०७ | ३६) | ३६) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०२ | ३६) | ३६) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०९ | ११)४ | ११)४ | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०० | २) | २) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०९ | ३६) | ३६) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०२ | ३६) | ३६) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०५ | २४११) | २४११) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०६ | ३७) | ३७) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०८ | ३६) | ३६) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४०९ | ११) | ११) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४१० | ३३) | ३३) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४११ | १७) | १७) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४१२ | २०) | २०) | — | ५ | च. ग. म. ड. |
| ४१३ | ३५११)३ | ३५११)३ | — | ५ | च. ग. म. ड. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------|------|-------|-------------|---|
| 78e | 32) | 111) | 371) | च. च. १०. ५ | |
| 786 | 7811)7 | 81) | 901)7 | u u 4 | |

2 अंश ०५' ५५"

1 अंश २१' ५५"

" ३०' ५५"

22 २०११)2

२९९११)

१०६०/2

Cright
Sant
 FS: 14/3/65

| S. | | |
|----|-----------------|---------|
| 1. | Bhojapura. | |
| | 99# | 104.15 |
| | 100 | 70.10 |
| | 101 | 14.18 |
| | 89 | 4.04 |
| | Total :- | 2288.17 |
| 2. | Chikhali Biran, | |
| | 16 | 0.17 |
| | 65 | 1092.13 |
| | 102 | 70.00 |
| | 104 | 0.05 |
| | 105 | 3.11 |
| | 106 | 6.02 |
| | 107 | 38.18 |
| | 108/109 | 0.07 |
| | Total :- | 1163.14 |
| 3. | Miliya. | |
| | 509 | 1.05 |
| | 520 | 8.07 |
| | 568 | |
| | 567 | 7.15 |
| | 571 | 223.18 |
| | 569 | 421.01 |
| | Total :- | 671.06 |
| 4. | Himmatpura. | |
| | 22 | 15.05 |
| | 25 | 1.05 |
| | 26 | 26.10 |
| | 24 | 17.18 |
| | 23 | 26.02 |
| | 27 | 23.10 |
| | 28 | 19.15 |
| | 271 | 1.00 |
| | Total :- | 129.05 |
| 5. | Mandala. | |
| | 781 | 528.09 |
| | Total :- | 528.09 |
| 6. | Jagepur Bada. | |
| | 106 | 69.00 |
| | 107 | 29.15 |
| | 109 | 703.06 |
| | 111 | 14.10 |
| | 112 | 0.15 |
| | 110 | 221.09 |
| | 286/1 | 170.08 |
| | 227 | 6.00 |
| | 288 | 1.09 |
| | 289 | 0.11 |
| | 291 | 1.15 |
| | 190 | 0.05 |
| | 292/1 | 109.05 |
| | 225 | 5.08 |
| | Total :- | 1422.06 |
| 7. | Janakpur. | |
| | 448 | 35.04 |
| | 495 | 20.17 |
| | 496 | 5.00 |
| | 499 | 11.00 |
| | 500 | 19.00 |
| | 501 | 1.15 |
| | 487 | 12.06 |
| | 485 | 6.19 |
| | 494 | 26.00 |
| | 497 | 16.00 |
| | 498 | 26.00 |
| | 501 | 16.00 |
| | 494/495 | 26.00 |

33

| 1. | 2. | 3. |
|--------------|----------|--------|
| (7) Jankpur, | ✓ 482 | 36.00 |
| | 506 | 36.00 |
| | 404 | 36.00 |
| | 403 | 8.00 |
| | 506 | 24.10 |
| | 507 | 37.00 |
| | 508 | 36.00 |
| | 509 | 11.05 |
| | 510 | 37.00 |
| | 511 | 17.00 |
| | 512 | 20.05 |
| | 513 | 34.15 |
| | 149 | 0.15 |
| | 147 | 0.05 |
| | ✓ 491 | 0.09 |
| | ✓ 490 | 2.05 |
| | 487 | 1.00 |
| | Total :- | 631.11 |

(मि. ३३)
३३

| | | |
|-------------|----------|--------|
| (8) Daroli. | 909 | 47.00 |
| | 910 | 36.00 |
| | 911 | 41.00 |
| | 912 | 36.00 |
| | 913 | 36.00 |
| | 914 | 34.10 |
| | 915 | 64.17 |
| | 916 | 35.15 |
| | 917 | 36.00 |
| | 918 | 15.00 |
| | 919 | 36.00 |
| | 920 | 37.15 |
| | 921 | 10.18 |
| | 922 | 36.00 |
| | 923 | 12.19 |
| | 924 | 0.04 |
| | 908 | 46.11 |
| | 907 | 0.15 |
| | 897 | 17.19 |
| | Total :- | 567.15 |

| | | |
|------------|----------|---------|
| (9) Morvan | 9747 | 157.45 |
| | 978/1 | 245.60 |
| | 978 | 578.10 |
| | 978/2 | 107.12 |
| | Total :- | 1078.27 |

| | | |
|---------------|----------|--------|
| (10) Semal :- | 153 | 38.00 |
| | 154 | 24.14 |
| | 155 | 35.03 |
| | 156 | - |
| | 157 | 79.00 |
| | Total :- | 197.00 |

| | | |
|---------------|----------|---------|
| (11) Radwanda | 77 | 38.03 |
| | 78 | 1.01 |
| | 79 | 37.01 |
| | 77 | 346.11 |
| | 78 | 17.15 |
| | 79 | 9.00 |
| | 80 | 12.03 |
| | 77 | 45.10 |
| | 78 | 30.30 |
| | Total :- | 1892.04 |

Office Of The Divisional Forest Officer Neemuch (M.P.)

Technical/2024/ 5327

Neemuch, Dt. 02/3/2024

To,

The Nodal Officer
High Level Insepction Committee
And Regional Officer, M.P. State Polution Control
Board
Regional Office, 17 – Bharatpuri Ujjain

Sub - DFO Neemuch's Stand regarding the Application No. 159/2024 At Hon'ble NGT, Bench – Bhopal to be admitted before Joint Inspection Committee.

Reference -Site Inspection By the Joint Committee on date 28-08-2024

With reference to the above mention subject, the detailed Stand of DFO Neemuch regarding the Application No. 159/2024 At Hon'ble NGT, Bench – Bhopal to be admitted before Joint Inspection Committee. is attached herewith. May Kindly Be admitted before High Level Insepction Committee.

Enclosed - As Above (Page 1 to 7)


(S.K. Atode)

IFS

**Divisional Forest Officer
Neemuch**

Joint Committee Inspection Report in the matter of
“Parashram Ravtmina Vs State of M.P. & Others”

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 15th July, 2024 in OA no. 159/2024 “Parashram Ravtmina Vs State of M.P. & Others” directed as under vide para 7:-

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:-

- (i) One representative from the Principal Chief Conservator of Forest
- (ii) One representative from Principal Secretary, Revenue Department, Govt. of M.P.
- (iii) One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board

The Committee was directed to submit the factual as well as action taken Report to the Hon'ble Tribunal. The joint committee constituted comprising of the following officers:


1. Smt. Laxmi Gamad, Additional District Magistrate, Distt. Neemuch
2. Shri S.K Atode, Divisonal Forest Officer, Distt. Neemuch
3. Shri. Hemant Kumar Tiwari, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Ujjain

In compliance of the above direction, the joint committee visited area under question in Neemuch on 28th August 2024 to assess the factual status of allegation made in petition.

The other officials present during the inspection are Shri Rajesh Shah, Sub Divisional Magistrate Revenue, Jawad, Smt. Saloni Parwa, Nayab Tehsildar, Tehsil Jawad and Shri Dashrath Akhand, Sub Divisional Officer Forest. Mr. Dheeraj Sharma, Manager M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd. was also present during field visit. Applicant was also informed through his advocate but he could not be present during inspection. The panchnama prepared during inspection is annexed as **Annexure-1**.

The main contentions of the petition is :

1. Allocation and transfer of land by the State Authorities in favor of Department of Industry, Policy and Investment Promotion, Madhya Pradesh for establishment of new industrial area
2. Mutation and transfer of the land by Tehsil - Jawad, District Neemuch in favor of Industry, Policy and Investment Promotion,



Madhya Pradesh.

3. Renumbering of Gazzete notified survey no of forest block Lasur by the Revenue Department after the Government of Madhya Pradesh notification No. 5/52/85/NL/3 dated 01-06-1985 (published in the M.P. Gazette on 25-07-1986).
4. Cancellation of the allotment of the forest land and the order dated 26.12.2023 passed by District Collector, Neemuch, MadhyaPradesh in Case No. 0235/A-20(3)/2023-2024

The Committee visited to get factual status regarding the issues mentioned in the petition and collected information as under:

1. According to the records, by the Government of Madhya Bharat Shashan Gazette notification No 1101/XF/203(54) , Gwalior dated 01st March 1955, (Published in Madhya Bharat Shashan Gazette dated 03rd March 1955) in this notification such lands in the ex-Jagirdari and ex-Zamindari areas of Madhya Bharat , have been recorded as forests resumed under the Madhya Bharat Abolition of Jagirs Act, Samvat 2008 and the area concerned and as are not included in the reserved forests , to be Protected Forests.

Annexure -2 (Notification No 1101/XF/203(54) , Gwalior dated 01st March 1955)

After than According to the records, by the Government of Madhya Pradesh notification No. 9893-6398-X-64 Bhopal dated 17-08-1964, an area of 8852.34 acres was notified as reserved forest under the Indian Forest Act 1927, Section 4, in the current Neemuch Division. Mr. Dongar Singh, Deputy Collector, was appointed as the Forest Settlement Officer under Section 06. After completing all the formalities, under Section 20 of the Indian Forest Act 1927, the area was declared a reserved forest by the Government of Madhya Pradesh notification No.5/52/ 85/ NL/3 dated 01-06-1985 (published in the M.P. Gazette on 25-07-1986),including the village Janakpur. **Annexure -3** (Notification No. 9893-6398-X-64 Bhopal dated 17-08-1964)

As per Madhya Pradesh Gazette Notification dated 25th July 1986 Following 26 Khasra nos. with their area 176.932 hec. of Village Jankpur of Forest block Lasur, were declared as Reserved forest .

| Sr. No. | Name Of Forest Block | Name of Village | As per Notification | |
|---------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | | | Khasra No | Area In hec. |
| 1 | Lasur | Janakpur | 479 | 3.112 |
| 2 | --- | --- | 490 | 0.408 |
| 3 | --- | --- | 491 | 0.004 |
| 4 | --- | --- | 492 | 10.06 |
| 5 | --- | --- | 493 | 10.06 |



| | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------|----------------|
| 6 | --- | --- | 494 | 10.06 |
| 7 | --- | --- | 495 | 6.24 |
| 8 | --- | --- | 496 | 1.28 |
| 9 | --- | --- | 497 | 10.06 |
| 10 | --- | --- | 498 | 10.06 |
| 11 | --- | --- | 499 | 3.002 |
| 12 | --- | --- | 500 | 6.112 |
| 13 | --- | --- | 501 | 0.412 |
| 14 | --- | --- | 502 | 10.06 |
| 15 | --- | --- | 503 | 10.06 |
| 16 | --- | --- | 504 | 10.06 |
| 17 | --- | --- | 505 | 10.06 |
| 18 | --- | --- | 506 | 2.002 |
| 19 | --- | --- | 507 | 8.425 |
| 20 | --- | --- | 508 | 10.06 |
| 21 | --- | --- | 509 | 10.06 |
| 22 | --- | --- | 510 | 3.46 |
| 23 | --- | --- | 511 | 4.832 |
| 24 | --- | --- | 512 | 6.413 |
| 25 | --- | --- | 513 | 10.5 |
| 26 | --- | --- | 495/515 | 10.06 |
| Total area | | | | 176.932 |

2. After completion of the settlement process by erstwhile FSO Mr. Donger Singh, Deputy collector in matters of settlement no role of present FSO remains.

By the Above mentioned gazette notification 26 khasra no. with total area 176.932 was declared as reserved forest of Village Janakpur by the Government of Madhya Pradesh notification No. 5/52/85/NL/3 dated 01-06-1985 (published in the M.P. Gazette on 25-07-1986)

Despite this fact, According to the records, it has been known from the letter No. 206/Reader-2/2024 dated 22-03-2024 of the Nayab Tehsildar, Jawad, that the following Notified 26 survey numbers with their area 176.932 hec. of the Village Janakpur Reserved forest block Lasur (published on 25-07-1986) in the year 2000-2001 were altered by the Sub divisional Revenue Officer, Jawad vide his order No. 1410/Ri/2000 Dt. 01.08.2000. The renumbering List of Khasra nos. and respective areas provided by the Nayab Tehsildar Jawad Vide his letter No. 206/Reader-2/2024 Jawad Dt. 22.03.2024 after the notification of reserved forest block Lasur. The comparative situation is as follows

Signature

| Sr. No. | As per Gazette Notification Dated 25.07.1986 | | Khasra Nos. After Renumbering in 2000-2001 | | Remark | |
|--------------|---|---------------------|---|--------------|--|---------------------|
| | Khasra No | Area In hec. | Khasra No | Area In hec. | | |
| 1 | 479 | 3.112 | 610 | 0.732 | The total area of 23 Khasras from 492 to 513 and 495/515 Shown on Serial No. 4 to 26 should be 173.408 hec. but Revenue officers Amended it as 124.04 hec. | |
| 2 | 490 | 0.408 | 631 | 0.470 | | |
| 3 | 491 | 0.004 | 630 | 0.094 | | |
| 4 | 492 | 10.06 | Out of 632 | 124.04 | | |
| 5 | 493 | 10.06 | | | | |
| 6 | 494 | 10.06 | | | | |
| 7 | 495 | 6.24 | | | | |
| 8 | 496 | 1.28 | | | | |
| 9 | 497 | 10.06 | | | | |
| 10 | 498 | 10.06 | | | | |
| 11 | 499 | 3.002 | | | | |
| 12 | 500 | 6.112 | | | | |
| 13 | 501 | 0.412 | | | | |
| 14 | 502 | 10.06 | | | | |
| 15 | 503 | 10.06 | | | | |
| 16 | 504 | 10.06 | | | | |
| 17 | 505 | 10.06 | | | | |
| 18 | 506 | 2.002 | | | | |
| 19 | 507 | 8.425 | | | | |
| 20 | 508 | 10.06 | | | | |
| 21 | 509 | 10.06 | | | | |
| 22 | 510 | 3.46 | | | | |
| 23 | 511 | 4.832 | | | | |
| 24 | 512 | 6.413 | | | | |
| 25 | 513 | 10.5 | | | | |
| 26 | 495/515 | 10.06 | | | | |
| Total | | 176.932 Hec. | | | Total | 125.336 Hec. |

The renumbered Khasra No. 632 and their area 124.04 Hec. are germinated from original gazette (Published on 25-07-1986) notified Khasara No. 492 to 495/515 with their notified area.

By letter number 302/R.T.C./2024 dated 21.05.2024 of Collector District Neemuch, a joint team of Forest and Revenue Department was constituted and for joint demarcation proceedings to investigate the legality of the land situated in village Janakpur, on 31.05.2024, a joint spot verification was done with Sub-Divisional Officer Jawad, Naib Tehsildar Jawad, Revenue Inspector Dadouli Circle 1 and 2, Patwari, Sub-Divisional Forest Officer Neemuch, Technical Officer Forest Department, Forest Range Officer Jawad and other forest staff. In which the staff of Revenue Department and Forest Department presented the actual situation regarding the

Shri

allotted land on the basis of their records. The allotted, land comes under the compartment number 89 of Beat Basedibhati of reserved forest block Lasur and according to the map of the prevailing forest working plan (toposheet) and the map of Survey of India, the allotted land is found within the boundary of reserved forest block Lasur A joint Panchnama of Site Inspection made by joint inspection team. **Photocopy of the spot panchnama of site inspection dated 31.05.2024 is attached. Annexure 4**

The allotted land of reserved forest block Lasur is under the control of forest department, being compartment number RF 89 of beat Basedibhati. The protection of forest in the said area is being done by the forest officers of respondent number 2 and 6 through subordinate staff such as forest guard beat guard Lasur, range assistant and range officer Jawad and with the help of concerned village forest committee. On finding illegal activity on the forest land of reserved forest compartment number 89, range officer Jawad has registered Preliminary Forest Offence Report (P.O.R) number 3568/17 dated 30.05.2024 under section 26(1) क, छ of Indian Forest Act 1927, And According to the section 4(1)-1(A)1(a) the Forest Conservation Act 1980 Amendment Act 2023 *the land declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force;* **A photocopy of P.O.R. pages is enclosed. Annexure -5.**

As per the letter of Government of India /8-31/2004-FC dated 20.08.2004 ,the hon'ble Supreme Court Vide its order dated 13.11.2000 in writ petition (C) No. 337 of 1995 has banned dereservation of forest. Also Vide the Circular no./F-25/54/2009/10-3 Dt. 20.04.2005 of Govt. of M.P. Forest Department, in view of above Superme Court Order dereservation of forest has been banned. **A photocopy of the letter is enclosed. Annexure -6**

3. As per information and document provided by DFO Neemuch the allotted land is reserved forest of forest block Lasur as notified by the Government of Madhya Pradesh notification No. 5/52/85/NL/3 dated 01-06-1985 (published in the M.P. Gazette on 25-07-1986) and the allotted land is in Compartment No RF 89 of Beat



Basedibhati of Forest Block Lasur according to the map of the prevailing forest working plan (toposheet) and the map of Survey of India. By the order of The Collector Neemuch, 0235/A-20(3)/2023-24 dated 26.12.2023, survey number 625 area of 1.990 hectare situated in village Janakpur, 1.00 hectare out of survey number 626 area of 2.420 hectare, survey number 632/2 area of 34.65 hectare out of 14.60 hectare, total area 18.02 hectare land has been allotted to Industrial Policy and Investment Promotion Department Bhopal. Out of which survey number 625 area of 1.990 hectare and 626 area of 2.420 hectare are not included in the notification of reserved forest block Lasur. Survey number 632 is basically made up of survey numbers 489, 492 to 513 and 495/515. with their rakba 124.04 hec. The allotted land of the renumbered Survey No 632/2 Area 14.06 Hec. is forest land as per original notified survey number which was notified by the Government of Madhya Pradesh notification No. 5/52/85/NL/3 dated 01-06-1985 (published in the M.P. Gazette on 25-07-1986)

4. DFO Neemuch has wrote to the SDM Jawad Tehsil Jawad to provide the copy of order no. 1410/RE/2000 Jawad dated 01.08.2000.
5. The copy of this order is not provided by Revenue Department to the Joint Inspection team. The renumbering of 26 survey nos. of Village Janakpur was started in the year 1992 and settlement was finalized in the year dated 2001-02. The list of renumbering after the notificcation of reserved forest block Lasur, is provided by the Nayab Tehsildar Jawad Vide his letter No. 206/Reader-2/2024 Jawad Dt. 22.03.2024.
6. As per renumbering list Khasra no. 479, 490 and 491 becomes Khasra no. 610,631 and 630 respectively. While Khasra no. 489, 492 to 513, 492/515 and other Khasra added to constitute Khasra no. 632 with rakba 158.690 hectares.
7. The survey no. 632/2 is further divided into three part i.e. 632/2/1 rakba 3.350 hectare, 632/2/2 rakba 14.60 hectare and 632/2/3 rakba 16.70 hectare. Survey number



④

632 is basically made up of survey numbers 489, 492 to 513 and 495/515. with their rakba 124.04 hec. The allotted land of the renumbered Survey No 632/2 Area 14.06 Hec. is forest land as per original notified survey number which was notified by the Government of Madhya Pradesh notification No. 5/52/85/NL/3 dated 01-06-1985 (published in the M.P. Gazette on 25-07-1986)

Conclusion:

AS per information and document provided by DFO Neemuch the Area of 14.60 hec of Khasra no 632/2 (After Division of the Renumbered Khasra No 632) allotted land is Reserved Forest Land of Reserved Forest Block Lasur as notified by the Government of Madhya Pradesh notification No. 5/52/85/NL/3 dated 01-06-1985 (published in the M.P. Gazette on 25-07-1986) and the allotted land is in Compartment No RF 89 of Beat Basedibhati of Forest Block Lasur according to the map of the prevailing forest working plan (toposheet) and the map of Survey of India. The Alloted land is in possession of from the date of notification No. 1101/XF/203(54) as protected forest.

Reply On Behalf of Respondent No. 2 and 6.



(S.K Atode)

Divisional Forest Officer
Division Neemuch

अनुपाम-1

हम पंचनामा जम जनकपुर के निवासी होकर यह पंचनामा तद्विषय करा देते हैं, की आज दि 22/8/2024 को मान N.G.T. भोजपुर केच के प्रकरण क्र. 159/2024 (परचरण रावत कीका) में प्रशासन 15.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जरीत संकुच कोरी द्वारा स्यात निरिहाण बीया उका जिले में माई- A.D.M. महोदय जिला बीगन्य बीगनी लक्षी गावड़, D.F.O. महोदय के S.K. अरोरें संव श्री तेजतं कुमार तिकारी दोत्रीय अधिकारी उच्चतर S.D.M. राजकलन उपकरुड जावर श्री राजेश शर्मा, नयव नदीक जावड़प्रीललोनी परका S.D.O. फारेहट की दरअस अखण्ड एवं कको के प्रति निधि श्री विरज शर्मा मैनेजर, मैनेजर फन जाइर रणपोवाइर माइनेर लिगी. एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हु लमीने द्वारा प्राणिका कर्ता श्री परचरण रावतीना के अधिभाषक श्री चर्कवीर शर्मा से इभाष पर चर्चा की गई जिसमे उनसे द्वारा बताया की के अर्थ में उनका प्रति निधि माई पर उपस्थित नही हो सकत एं वकलय दिया गया की अनुपस्थित में निरिहाण के इतें एवं उनसे वक्लाइर को कोट्टी आपनी नही है

आतः माका कुआइना के लीये यह पंचनामा तैयार किया जो सही. में द्वारा पंचनामा लिखा गया

22/8/2024
ADM NMC
R.O. MPPCB
LJain(MP)

22/8/24
S.K. Attale
D.F.O. NMC

22/8/24
(विनायक शर्मा)
S.K. नि. 802
भोजपुर

22/8/24
N.T.
करोड़ परत

22/8/2024
(S.D. Neeraj)

22/8/24
Rajesh Shaha
S.D.M. Jalpaiguri

22/8/24
Manager
Sunita Akalait
PVT Ltd.
DMEERAS
SHARMA

MADHYA BHARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION, JAL. VIHAR, GWALIOR

Corrigendum

It is notified for general information that recruitment to 15 posts of Agriculture Teachers for the Education Department advertised in Commission's Advertisement No 6 (item No 10) which appeared on 17th February, 1955 is hereby cancelled

मध्यभारत के सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है कि शिक्षण विभाग के लिये कृषि शिक्षकों के 15 पदों के चुनाव के हेतु कमोशन का विज्ञापन नं 6 (आइटम नम्बर 10) जो 17 फरवरी को प्रकाशित हुआ था वह निरस्त किया जाता है।

पात्रा से,

सी. एम. मुलक, सेक्रेटरी.

FOREST AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT GWALIOR

Notification

No 1101/NF/203(54). Gwalior, dated the 1st March, 1955

In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Madhya Bharat Forest Act, Samvat 2007, the Government is pleased hereby to declare such lands in the ex-Jagirdari and ex-Zamindari areas of Madhya Bharat, resumed under the Madhya Bharat Abolition of Jagirs Act, Samvat 2008 and the Madhya Bharat Zamindari Abolition Act, Samvat 2008, respectively, as have been recorded as forests in the last settlement in the area concerned and as are not included in the reserved forests to be protected forests; provided that any existing rights of individuals or communities in such lands shall not be abridged or affected

pending the enquiry and record in accordance with the provisions of sub-section 3 of the said section.

मध्यभारत वन विधान, सवत् २००७ की धारा २९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए शासन इन विज्ञापन द्वारा, मध्यभारत जागीर समाप्ति विधान, सवत् २००८ तथा मध्यभारत जमींदारी समाप्ति विधान, सवत् २००८ के प्रचलित पुनरुद्घोषित वन जमींदारी तथा जमींदारी क्षेत्रों की ऐसी भूमियों को जोकि सम्बन्धित क्षेत्र के विद्यमान व्यवस्थापन में वन के रूप में निश्चित नहीं हैं और जोकि सुरक्षित वनों में सम्मिलित नहीं हैं, रक्षित वन घोषित करता है। किन्तु व्यक्तियों या जातियों के ऐसी भूमियों में विद्यमान स्वत्व, उत्पन्न भाग्य की धारा (३) के प्रादेशों के अनुसरण में की जानेवाली नाब तथा वन के संपूर्ण रहने तक रूप या प्रभावित न होंगे।

पात्रा से

एस. पी. मित्रा, सचिव

कार्यालय नगरपालिका महाशिक्षक

मि० नं० ११४३ ?

विज्ञापन

स्वान मोतीमहल, लखर, दिनांक २ मार्च १९५५

कलेक्टर एवं निर्वाचन पदाधिकारी, त्रिना सिवपुरी को ध्यान में सूचना प्राप्त हुई है कि नगरपालिका कोलास में निर्वाचन नामावली पूर्ण प्रकार से तैयार हो चुकी है। इन मध्यभारत नगरपालिका (निर्वाचन एवं चुनाव) नियम, १९५४ की धारा १५ के अनुसार उक्त निर्वाचन नामावली नगरपालिका कोलास में दिनांक ५ मार्च १९५५ से प्रभावशील होगी और तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

मे. ग. सचिव, नगरपालिका

Bhopal, the 17th August 1964.

No. 9093-6398-X-64.—In exercise of the powers conferred by section 4 of Indian Forest Act, 1927 (XXVI of 1927), State Government are pleased to declare that it has been decided to constitute the lands specified in the subjoined table as "Reserved Forests" and to direct that the situation and the limits of the lands to be reserved shall be as specified in the schedule.

The State Government are further pleased to appoint Shri Dongar Singh, Dy. Collector, as Forest Settlement Officer for the purpose described in section 4 (i)(c) of the Indian Forest Act.

SCHEDULE

District -Mandsaur. Tahsil—Jawad. Range—Ratangarh,

| Name of Village (1) | Name of Block (2) | Area in acres (3) | Boundaries (4) |
|---|----------------------|----------------------|--|
| 1. Deoria 2. Rincholia 3. Padlia 4. Borekhan 5. Jerpura 6. Gunjala 7. Ragnathpura 8. Dakhar 9. Chandeda 10. Alori 11. Dehpur 12. Jarad 13. Chirmiloda 14. Bhagwanpura. 15. Shyampura 16. Amarpura 17. Diken 18. G. Kapardhar 19. Jiwapura 20. Sutholi 21. ... | Gunjala | 29596.12 | <p>North—Cut line from P. No. 1 to 111 and Gunjala River up to 112 and cut line from P. No. 112 to 188 and the part of the above River.</p> <p>East.—Inter State Rajasthan and M. P. boundary.</p> <p>South.—Kanjarda R. F. and cut line P. No. 189 to 263</p> <p>West.—Cut line P. No. 263 to 272 and R. F. from Keodia block boundary up to P. No. 1.</p> <p>Internal Cut line of patch Khardi Pillar 1 to 12 near the State boundary of East.</p> |
| 1. Laxar 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... | Laxar | 9952.34 | <p>North—Cut line pillar 34 to 1 and follow ... in State Boundary.</p> <p>East—State boundary between Rajasthan and M. P.</p> <p>South—Kanjarda R. F. and cut line pillar No. 33 to 102 and follow nala up to pillar No. 103 and cut line from P. No. 103 to 111 and State boundary.</p> <p>West.—Cut line pillar No. 34 to 53.</p> <p>Internally demarcated cut line pillar No. 1 to 17 on the Boundary of Southern side.</p> |
| 1. Nagthoon 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... | Nagthoon | 2125.33 | <p>North.—Inter-state boundary of M. P. and Rajasthan</p> <p>East.—East P. No. 35 to 115 cut line village Shyampura, Ate, Saroda, Daulatpura, Karanpura, Mordkheda Chadol Partappura.</p> <p>South—P. No. 26 to 35 village Budhanghpura.</p> <p>West.—Inter-state boundary of Rajasthan M. P. and P. No. 1 to 26 Village Nagthoon, Guparkheda and Gudiha.</p> <p>Internally demarcated cut line P. 1 to 12 and 1 to 11.</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------------------|-----------------|---------|--|
| 1. Parwani .. | Daroli .. | 2034.26 | North.—cut line P. 1 to 5 and 73 to 92 and Neemuch Singoli road from P. No. 61 to P. No. 1. East.—Cut line P. No. 71 to 73. South.—Cut line P. 20 to 71 and internally demarcated P. No. 1—7. West.—Cut line pillar No. 5 to 20. |
| 2. Malgarh .. | | | |
| 3. Panauli .. | | | |
| 4. Daroli .. | | | |
| Milkhandu .. | Umer (North) .. | 5888.74 | North.—Surveyed line P. No. 1 to 36. East.—Surveyed line P. No. 36 to 190 and internally demarcated pillar No. 1 to 20 of village Kulniya. South.—Surveyed line P. No. 190 to 242 and internally demarcated P. No. 1—30 of village Indrejikheda and 1 to 45 of village Rakudi 130 and two small patches also demarcated. West.—Rajasthan and M. P. Inter-state boundary and surveyed line P. No. 10 to 1 to 91 to 33. |
| Sujanpura | | | |
| Sarwania | | | |
| Ralayata | | | |
| X. naktapura | | | |
| Lawa | | | |
| Juna Parana | | | |
| D. nagan | | | |
| Phattaji ki khedi | | | |
| Ubaphan | | | |
| Neral | | | |
| Ummedpura | | | |
| Khedabhangota | | | |
| Umar | | | |
| Khedakhi | | | |
| Dabrakala | | | |
| Dabrakhurd | | | |
| Indrejikheda | | | |
| B. rakudi | | | |
| Kulmia | | | |
| Ranakhudi .. | Umer (South) .. | 553.30 | North.—Surveyed line 1—26. East.—Surveyed line P. No. 26—33. South.—P. No. 33 to 59. West.—Surveyed line P. No. 59 to 1. |
| Patan .. | Atua (North) .. | 2488.02 | North.—Surveyed line P. No. 67 to 111. East.—Surveyed line P. No. 111 to 130 to 1. South.—Surveyed line P. No. 1 to 56 West.—Surveyed line P. No. 67—57 and Nala up to 56 |
| Manoharpura | | | |
| Chalau | | | |
| Anandpura | | | |
| Atuakhurd | | | |
| Loipura | | | |
| Dungariya | | | |
| Rajpura Jhwar | | | |
| Kishanpura | | | |
| Pandukudi | | | |
| Meghpurapodh | | | |
| Jashwantipura | Atua (South) .. | 2106.07 | North.—Surveyed line P. No. 52 to 81 East.—Rajasthan Inter-state boundary South.—Surveyed line P. No. 1—42. West.—Surveyed line P. No. 42 to 52 |
| Banda | | | |
| Jethlia | | | |
| Kheda Bhangota | | | |
| Atua Bujurg | | | |
| Atua kurd | | | |
| Anandpura | Banda .. | 5216.02 | North.—Surveyed line P. No. 1—64. East.—Rajasthan and M. P. Inter-state boundary and P. No. 1—59. South.—Surveyed line P. No. 65 to 100 and part of State boundary. West.—Hathipur R. F. boundary and internally demarcated abadi of Mothipura and Banda. |
| Dabi | | | |
| Jethlia | | | |
| Banda | | | |
| Khajuria | | | |
| Lohariya | | | |
| Dungarpur | | | |
| Motipura | | | |

Brief description

These areas contain valuable forest growth.

Reasons for Reservation

For preserving the forests in perpetuity in the best interest of the State and People and for introducing systematic management it is decided to constitute them as reserved forests.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAHMA SWARUP, Dy. Secy.

अनुपगन - (4) - निरंतर

①

रक्षत पंचनामा

स्थान - मनकपुर
दिनांक - 31/05/2004

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता आज दिनांक 31/05/2004 को तस्वीर करते हैं, कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री रामेश साह अनुविभागीय अधिकारी वन श्री दशरथ उखरु तहसील अधिकारी व श्री गिरीश सिंह रबीर वन परिसर अधिकारी श्री विपुल प्रभात कोरिया एवं अन्य स्टाफ, नायब रजिस्ट्रार श्रीमती सुलोनी पटवा राजस्व निरीक्षण दल - 1 व दल-2 एवं गठित दल में सदस्य (प्लानिंग) के द्वारा राजस्व नक्शा स्थित नक्शा वर्ष 1936 एवं चालू शीट नमूनी-प्लान वर्ष 1991-92 प्रियमे वन राजस्व विभाग की सीमा लाल रंग की से चर्चार्थी गई है तथा तत्कालीन रेंजर RA वन परिसर जावद ज.स. चौधरी के हस्ताक्षर इस टीप के साथ अंकित है। जली गई गल वन सीमा लाल रंग से सहमत तथा अन्य रिकार्ड मुताबिक वन राजस्व सीमा का निश्चय किया गया था। दिनांक 14/3/2000 को हस्ताक्षर अंकित किये गये तथा यह नक्शे में लाल रंग में अंकित जली गई थी। गजट नोटिफिकेशन के वन विभाग को अपेक्षित नक्शे से मिलान किया गया प्रस्तावित विवरण इस प्रकार है नं. 625 रकबा 1.990 हे. जिसका पुराना नम्बर 483, 486 भी. एवं नं. 626 रकबा 2.420 हे. जिसका पुराना नम्बर 148, 149, 487 भी. है। इसका गजट नोटिफिकेशन में कोई उल्लेख नहीं है। एवं नं. 632/2 रकबा 14.600 हे. जो कि पुराने नम्बर 489 भी. 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 492/515 से मिलकर बना जिसका कुल रकबा 124.040 हे. है। वन के नाम में दर्ज हुआ तथा अ. 650 गैर हस्तगत चारागाह दर्ज हुआ। इस प्रकार यह आज दिनांक को गजट नोटिफिकेशन का मिलान किया जा रहा है। तत्कालीन दरसे से वन के अधिकारियों के समक्ष मिलान किया जा रहा है कि कुल 17 सर्वे नं. प्रियमे जैगोलिक क्षेत्रफल 102260 हे. था। किंतु गजट में 154.002 हे. प्रकाशित हुआ तथा 9 सर्वे नं. के कुल रकबा 44429 हे. रकबा रिकार्ड में है। जबकि गजट में रकबा 22.920 हे. प्रकाशित हुआ तथा गजट में प्रकाशित सर्वे नं. 489 रकबा 2.926 हे. सर्वे नं. 495/515 रकबा 10.060 गजट में प्रकाशित हुआ। किंतु ये सर्वे नं. गंज के दरसे में दर्ज नहीं है। इस प्रकार जो गजट नोटिफिकेशन हुआ वह इतना। त्रुटिपूर्ण हुआ है तथा ये सर्वे नं. वन के अपेक्षित नहीं हुआ व सर्वे नं. के रकबा की वन के हस्ताक्षर के अंक 89 में चर्चार्थी गया है।

निरंतर --- ①

अनुवचन - (4) - निरंतर

श्री 112 उपरिष्ठित इन वन गण्डला अधिकारी एवं वन अधिकारियों के द्वारा
 ज्ञात कि राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत
 राज्य सरकार द्वारा वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति वर्ष
 1964 में की गई थी। तथा वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा अधिनियम
 अवेदनो का शिथिलता करवा 13 दिनों न्यूनतम अधिलेख वैचार
 लिये गर्भ वे। चरा 20/11/0 के अंतर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी
 के द्वारा अधिनियम 1894 के अर्थात् न्यूनतम शिथिलता
 अधिनियम पर सीमा चिन्ह का निर्धारण करते न्यूनतम में
 प्रकाशन करताया अधिलेखना 5/52/85/10/03 दिनांक
 1 जन 1965 रजस्व अधिलेख व गण्डला में प्रकाशित अथवा
 न्यूनतम वर्ष 2000 के पुनः वंदोवस्त होकर ये न्यूनतम वन
 अधिलेख के वर्ष 1986 में रजस्व
 अधिलेख अनुसार सर्वे नं. 479/3.112, 480/2.926, 490/0.470
 491/7.525, 493/7.525, 492/7.525, 494/7.525, 496/7.525.
 497/7.525, 498/7.525, 499/7.525, 500/7.525, 501/1.745,
 502/7.525, 503/1.672, 504/7.525, 705/7.525, 506/5.122,
 507/7.527, 508/7.525, 509/2.351, 510/6.898, 511/3.554,
 512/4.233, 513/7.243, 499/515 कुल सर्वे नं. 27 कुल रकबा
 141.640 हे. की जमीन वर्ष 2000-01 में अनुविभागीय अधिकारी
 महोदय द्वारा अधिनियम 1410/सी/2000 दिनांक 01/08/2000
 से वन भूमियां खसरे में सर्व हुई। वे वन के नाम से इन वन
 के कुल रकबा में से केवल 124.600 हे. की वन हुआ।

अधिलेखित खसरे को रजस्व विभाग वन द्वारा वर्ष 2000
 में वंदोवस्त कर संशोधित कर दिया गया, जमीन भारतीय वन
 अधिनियम 1927 की धारा 22 के अनुसार संशोधित कि नियम
 नियम अर्थात् अधिलेखना प्रकाशन की दिधि से 5 वर्ष की
 वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अनुसार वर्ष
 राज्य में तत्कालीन स्थिति वन के समावेश होकर वर्ष
 राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण के वन के राज्य सरकार एवं
 अनुमोदन के सिधाय निर्दिष्ट 9 से कुल रकबा होगी।
 इन वन के वर्तमान प्रचलित कार्य योजना अनुसार वन अंश 83
 का कुल रकबा 324.210 हे. की वर्तमान में जो भूमि अधिनियम
 नीति एवं विभाग प्रोत्साहन विभाग के वन अधिनियम से
 स्थापना हे आबंदि हुई है वन के न्यूनतम अनुसार

राजस्व विभाग द्वारा
 अनुमोदित एवं वर्तमान प्रचलित कार्य योजना अनुसार वन अंश 83
 का कुल रकबा 324.210 हे. की वर्तमान में जो भूमि अधिनियम
 नीति एवं विभाग प्रोत्साहन विभाग के वन अधिनियम से
 स्थापना हे आबंदि हुई है वन के न्यूनतम अनुसार

निरंतर (2)

कक्षा क्रमांक 89 में स्थित है जिसे GPS coordinates
-निम्नानुसार है | ① N 24°38'05.29" E 75°1'37.44"

② N 24°37'69.55" E 75°1'33.28" ③ N 24°37'49.52"

E 75°1'30.03" ④ N 24°37'50.00" E 75°1'41.6" ⑤

N 24°37'57.75" E 75°1'44.25" ⑥ N 24°38'3.14" E

75°1'51.18"

प्लॉट पर के बण्ड लायर्स के द्वारा क्रमांक 55, 56 व 57 के प्लॉट हैं

जिनकी GPS Reading क्रमशः N 24°38'10.66" E 75°1'36.52"

N 24°38'1.2" E 75°1'54.9", N 24°38'1.293" E 75°2'13.07" है।

न्यूनतम में प्रकाशित उक्त स्व-राजस्व अभिलेखों के माध्यम से अंतर के अभाव में

बाह्य वन-बण्ड की सीमा प्रकाशित होकर प्रभावित भूमि अधिधिकृत

भूमि स्व-निवेश प्रोत्साहन विभाग के आवेदनित भूमि राजस्व

अभिलेख अनुसार राजस्व भूमि वर्ष 2011 से अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत

राज्य में आज दिनांक 20 अक्टूबर 2011 से 1986 के गजट अनुसार

वन भूमि बंधन भाग में स्थिति हो रही है। अतः राजस्व अनुसार

राजस्व विभाग के नक्शे में स्थिति हो रही है। अतः राजस्व भूमि के

वन विभाग का जगजा तत्समय आवेदनित भूमि अनुसार नहीं है।

अतः अनुसूचित राजस्व नगरी नहीं है। वन विभाग से क्रमांक 89

की मानचित्र की प्रतिलिपि चर्ची गई (वर्ष 2003-04 व 2023-24)

और वन विभाग द्वारा माध्य उपलब्ध कराने का आदेश प्राप्त। (उपरोक्त)

समस्त कार्रवाई के सीमांकन के दौरान SLR की अवधि के अन्तर्गत

है। एवं राजस्व अधिधिकृत/सीमांकन कार्य किया।

उपरोक्त संकेत कार्य/सीमांकन कार्य किया।

आदेश-पंचनामा नं. 216 दिना 30-05-2024 को जारी किया।

आदेश-पंचनामा नं. 216 दिना 30-05-2024 को जारी किया।

आदेश-पंचनामा नं. 216 दिना 30-05-2024 को जारी किया।

अनुपमन - 5

RLN 07/30.5.2024

(MPFO-4/2003)

वन विभाग मध्य प्रदेश
द्वितीय प्रति
मध्य प्रदेश वन विभाग (परिक्षेत्र प्रति)

पुस्तक क्रमांक

3568

पृष्ठ क्रमांक

17

प्रतिवेदन दिनांक

30/05/2024

वन मण्डल

...

परिक्षेत्र

...

वीट

...

परिक्षेत्र सहायक वृत्त

...

(MPFO-4/2003)

वन विभाग मध्य प्रदेश
तृतीय प्रति
मध्य प्रदेश वन विभाग (वनमण्डल प्रति)

पुस्तक क्रमांक

3568

पृष्ठ क्रमांक

17

प्रतिवेदन दिनांक

30/05/2024

वन मण्डल

...

परिक्षेत्र

...

वीट

...

परिक्षेत्र सहायक वृत्त

...

| | |
|----|--|
| 1 | अपराधी का नाम पिता एवं पता 1. धरम राम शर्मा शर्मा शर्मा शर्मा 2. प. सं. राजपुर अ. सं. राजपुर 3. 151, पेटेल (ला. 1), नीमच (म.प्र.) |
| 2 | वन अपराध का प्रकार :- अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण उत्खनन/शिकार/घाई/आग लगाना/सोमा चिन्ह बदलना/अन्य |
| 3 | वन अपराध घटित/संज्ञान होने का म्यन :- |
| 4 | वन अपराध घटित/होने की तिथि |
| 5 | अनुमानित अवधि :- |
| 6 | अपराधी वनोपज का संक्षिप्त विवरण :- |
| 7 | गवाहों के नाम एवं पता :- |
| 8 | वन अधिकारी के हस्ताक्षर |
| 9 | घटना का संक्षिप्त विवरण :- |
| 10 | परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एन दिनांक |

| | |
|----|---|
| 1 | अपराधी का नाम पिता एवं पता 1. धरम राम शर्मा शर्मा शर्मा शर्मा 2. प. सं. राजपुर अ. सं. राजपुर 3. 151, पेटेल (ला. 1), नीमच |
| 2 | वन अपराध का प्रकार :- अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण उत्खनन/शिकार/घाई/आग लगाना/सोमा चिन्ह बदलना/अन्य |
| 3 | वन अपराध घटित/संज्ञान होने का म्यन :- |
| 4 | वन अपराध घटित/होने की तिथि |
| 5 | अनुमानित अवधि :- |
| 6 | अपराधी वनोपज का संक्षिप्त विवरण :- |
| 7 | गवाहों के नाम एवं पता :- |
| 8 | वन अधिकारी के हस्ताक्षर |
| 9 | घटना का संक्षिप्त विवरण :- |
| 10 | परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एन दिनांक |



अनुक्रम - ⑥ निरंतर

मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग,

भंत्रालय (बल्लग भवन) भोपाल

क्रमांक/ एफ- 25/54/2003/10-3
पार

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2005

21-4-05

1 समस्त जिलाध्यक्ष

मध्यप्रदेश

2. वन भंडालधिकारी

मध्यप्रदेश (निम्न)


विषय:- वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने तथा धारा-4 में अधिसूचित क्षेत्रों का व्यवस्थापन।

गदर्भ- भारत शासन का पत्र क्रमांक 8-31/2004-एफ.सी., दिनांक 20.8.2004.

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न है। इसे भलीभांति अध्ययन करने का कष्ट करें।

2 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 337 वर्ष 1995 में दिनांक 13.11.2000 को पारित आदेश के संदर्भ में निर्वनीकरण (dereservation) पर अस्थायी रोक लगाई गई है। अतः भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-4 की कार्यवाही के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए यदि किन्हीं प्रस्तावित क्षेत्र को वन खंड की सीमा से अलग किया जाना प्रस्तावित हो तो उसके लिये निर्वनीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही आगामी आदेश होने तक नहीं की जाये।

3 कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।


(रतन पुरवार)

सचिव, मध्य प्रदेश शासन


वन विभाग


भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2005

क्रमांक/ एफ- 25/54/2003/10-3

प्रतिलिपि:- रामस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

एच.डी./व्य.सं./एच.डी./राजस्व/वि.सं./प्रति


5/9/05



सचिव, मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

F.No. 8-31/2004-FC " अनुपम (6) "
Government of India
Ministry of Environment & Forests
F.C. Division

Paryavaran Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

Dated: 16-8-2004

20-8-2004

To
The Principal Secretary (Forests),
All States/UTs

Sub: Proposals related with conversion of forest villages into revenue villages and deletion of Section-4 area pertaining to various State/UT Governments.

Sir:

I am directed to bring to your kind notice that Hon'ble Supreme Court vide its order dated 13-11-2000 in Writ Petition (C) No. 337 of 1995, has banned dereservation of forests/national parks/sanctuaries. The same order has been reiterated by the Apex Court on 9-2-2004. In view of the orders of the Court, the matter was placed before the Forest Advisory Committee on 26-7-2004. Taking the fact into account that Ministry of Environment and Forests has already filed an affidavit for vacation of the order, the Committee decided that all such proposals shall be closed temporarily and the respective State / UT Governments would be advised to approach the Supreme Court first, and seek the vacation of the order banning dereservation. All such proposals for conversion of forest villages into revenue villages, and deletion of Section 4 area shall be processed by the Central Government only after the concerned State/UT Government obtains the permission of Supreme Court or after final decision in the case.

Yours faithfully,



(ANURAG BAJPAI)

Asstt. Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All States/UTs.
2. All Regional offices of Ministry of Environment & Forests. They are requested to complete the site inspection in respect of such proposals in the meantime.
3. Nodal Officer (Forest Conservation), All States/UTs.
4. Director (FC)/AIG (P)/AIG(S)
5. All relevant files.
6. Guard file.
7. Monitoring Cell





Janakpur, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Janakpur, Madhya Pradesh 458110, India
Lat 24.635053°
Long 75.027838°
28/08/24 12:43 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera

← Copiest sukla
14 photos · Yesterday



GPS Map Camera



Janakpur, Madhya Pradesh, India
J2MC+R5M, Janakpur, Madhya Pradesh 458220, India
Lat 24.634515°
Long 75.019677°
28/08/24 01:43 PM GMT +05:30





M P Industrial Development
Corporation Limited

**MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**
REGIONAL OFFICE, INDORE
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

No. MPIDC/RO/IND/UD LAND/2024/ 1640

INDORE, DATED : 18.1.24

ALLOTMENT ORDER

To,

M/s Sunlite Alkaloids Pvt. Ltd.
Plot No. 292/46, Shop no. 151,
Patel Plaza, Neemuch City,
Neemuch – 458441 (M.P.)
Email- info@sunlitealkaloids.com
Mob. 7303421677

Sub : Allotment of Undeveloped Land at Village Janakpur, Teh. Javad, district Neemuch (M.P.).

Ref : Letter of Intent No. 802-05 Dated 15.01.2024 & Industrial Development Corporation Ltd. Bhopal No. MPIDC / भूप्र.क्र. / 127 / 23 / 06 भोपाल दिनांक 01 / 01 / 2024 ।

Sir,

We are in receipt of your acceptance of the terms and conditions of Letter of Intent and amount deposited vide UTR No. CR-PUNB0142400 Date 16.01.2024 for Rs. 4,81,218/-, Rs. 60,15,240/- and Rs. 60,00,000/- Total Amount Rs. 66,85,737/-

We are pleased to allot you Undeveloped Land of admeasuring area **18.02 Hectare at Village Janakpur, Teh. Javad, District Neemuch (M.P.)** for setting up an industrial park. Plot is surrounded by:-

| | | |
|--------------|---|------------|
| ON THE EAST | : | Govt. Land |
| ON THE WEST | : | Govt. Land |
| ON THE NORTH | : | Road |
| ON THE SOUTH | : | Govt. Land |

You are requested to:-

- Execute the lease deed in enclosed format and register the same within 60 days, all costs and expense incurred or which may be incurred for preparation, execution and registration of the lease deed, shall be borne and paid by you. You shall be required to deposit certified copy of the lease deed with this office duly registered.
- Take possession of the land within a period of seven days after completion of the formalities as at (i) above. If you fails to take possession within stipulated time it will be presumed that possession is taken on the Date of execution of lease deed.

Please note that in case you fail to fulfill the formalities/ conditions as at (i) and above within the stipulated period shown as above, this allotment order shall stand cancelled and forfeiture or refund, if any, shall be governed by the Madhya Pardesh Rajya Audyogik Bhumi Evam Audyogik Bhawan Prabandhan Niyam-2019.

Enclosed :- Coordinated boundary of the allotted area.

(Pratul Chandra Sinha)
(Pratul Chandra Sinha)
EXECUTIVE DIRECTOR

CIN : U51102MP1977SGC001392
101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park,
Khandwa Road, INDORE - 452 001 (M.P.)
Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311
Fax No. : 0731-2972529
Website : invest.mp.gov.in | E-mail : ed.roind@mpidc.co.in



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

| | |
|--|-------------------------|
| ई पंजीकरण संख्या | MP279462024A1100954 |
| पंजीकरण की तिथि | 25/01/2024 |
| ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिंट करने की तिथि | 25/01/2024 |
| संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है) | 39961152 |
| प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये) | 8020320 |
| पंजीयन शुल्क (रुपये) | 306778 |
| कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये) | 449941 |
| उप पंजीयक का नाम | SHISHIR DODIYAR |
| उप पंजीयक कार्यालय का नाम | उप पंजीयक कार्यालय नीमच |



पट्टादाता- स्वयं

संगठन का नाम MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
अधिकृत व्यक्ति का नाम P.P. VIJAYVARGIYA
पता MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED REGIONAL OFFICE, INDORE, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

पट्टेदार- स्वयं

संगठन का नाम M/S. SUNLITE ALKALOIDS PVT. LTD.
अधिकृत व्यक्ति का नाम NIKHIL BANSAL
पता Sal House, 151, 1st Floor, Patel Plaza, Neemuch city, Neemuch (M.P.), नीमच, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by
SHISHIR KUMAR
DODIYAR
Date: 2024.01.25
16:58:02 IST


उप पंजीयक
नीमच (म.प्र.)

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------|-------|
| ई स्टाम्प कोड | 61012724012024018881 | | |
| ई स्टाम्प राशि (रुपए) | 449941 | | |
| शासकीय स्टाम्प छूटी (रुपए) | 409037 | नगर पालिका छूटी (रुपए) | 0 |
| जनपद छूटी (रुपए) | 0 | उपकर राशि (रुपए) | 40904 |
| छुट दी गई राशि (रुपए) | 0 | | |
| ई स्टाम्प का प्रकार | गैर न्यायिक | | |
| निर्गमन तिथि एवं समय | 24/01/2024 18:18:17 | | |
| पुनर आईडी / कारीकर्ता | TUSHAR KOCHETA/SP012743908201700026 | | |
| एस पी / एस आर ओ / | SHOP NO. 18 COLLECTOR PARISAR SCHEME NO. 36 KE SAAMNE, NEEMUCH नीमच | | |
| डी आर ओ / एच ओ विवरण | नीमच | | |

डीड विवरण

| | |
|-----------------|---|
| विलेख का प्रकार | पट्टा |
| लिखत | खनन पट्टा से निम्न, पट्टा जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है, - जहां कि पट्टा ऐसी अधिधि के लिए तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है, या निर्दिष्ट कालाधिधि के लिए तात्पर्यित नहीं है - न्यूनतम पांच सौ रुपए के अधिधीन रहते हुए, प्रीमियम या अधिधि दिए गए या अधिधि दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक माटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो |
| उद्देश्य | LEASE DEED |

पहले पक्ष के विवरण

| | |
|--------------|--|
| संगठन का नाम | MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
| पता | MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED REGIONAL OFFICE, INDORE |


व्यक्तियों की संख्या

1

दूसरे पक्ष के विवरण

| | |
|----------------------|--|
| संगठन का नाम | M/S. SUNLITE ALKALOIDS PVT. LTD. |
| पता | Sal House, 151, 1st Floor, Patel Plaza, Neemuch city, Neemuch (M.P.) |
| व्यक्तियों की संख्या | 1 |

LEASE DEED FOR UNDEVELOPED INDUSTRIAL LAND ALLOTTED AT VILLAGE JANAKPUR TESHIL
JAWADDISTRICT NEEMUCH(M.P.)INDUSTRIAL UNDEVELOPED LAND





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

LEASE DEED FOR UNDEVELOPED INDUSTRIAL LAND ALLOTTED AT
VILLAGE JANAKPUR TESHIL JAWADDISTRICT NEEMUCH(M.P.)
INDUSTRIAL UNDEVELOPED LAND

This deed is made on 18th, January of year 2024 between the Governor of Madhya Pradesh, acting through Executive Director, MPIDC Regional Office Indore (herein after called the 'Lessor' which expression shall, where the context so admits, include it' successor in office) of the one part & further Authorized MR. P.P. VIJAYVARGIYA, GENERAL MANAGER MPIDC Regional Office Indore to Execute Lease Deed Vide Order No. 1508 Dated 21/03/2023.

AND

M/S. SUNLITE ALKALOIDS PVT. LTD. acting through MR. NIKHIL BANSAL S/O SHRI J.C. AGARWAL DIRECTOR and having its registered office at Sal House, 151, 1st Floor, Patel Plaza, Neemuch city, Neemuch (M.P.)(herein after called the 'Lessee' which expression shall, where the context so admits, include its successors and permitted assigns) of the other part.

Whereas permission granted to allot the land from M.P.I.D.C. Bhopal order No. भू.प्र.क./127/23/06 Dated 01.01.2024 with following terms and condition :-

1. इकाई द्वारा उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक विषिष्ट अनुमतियाँ/क्लियरेंसेस/अनापत्ति संबंधित विभाग/संस्थासे उनके नियम/अधिनियम अंतर्गत प्राप्त करना होगा।
2. इकाई द्वारा प्रस्तावित परियोजना को निर्धारित समयावधि में प्रतिबद्ध निवेश के साथ स्थापित कर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
3. इकाई को नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु समस्त देय राशियाँ क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार जमा करनी होगी।
4. इकाई द्वारा भूमि की उपयोगिता का अनुपालन प्रचलित नियमानुसार करना होगा।
5. इकाई द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु औद्योगिक उद्यमी जापन (IEM) प्राप्त किया जाकर क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर को उपलब्ध कराना होगा।
6. इकाई द्वारा भूमि आधिपत्य दिनांक से प्रत्येक 06 माह में उद्योग स्थापनार्थ की गई प्रगति से क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

Whereas upon the request of lessee, the lessor has agreed to grant to the lessee, subject to the terms and conditions herein after specified, a lease of the Undeveloped piece of land comprising of an area measuring 18.02 Hectare





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

situated in the Village Janakpur of Tehsil Jawad of the District Neemuch (M.P.) more particularly described in the schedule hereto annexed and for greater clarity delineated on the plan hereto annexed and thereon shown with boundaries in red colour (hereinafter referred to as 'the said Undeveloped land') for a term of NINETY NINE YEARS commencing from the date 18.01.2024 and ending on 17.01.2123 for the purpose of Setting up a Phytochemical/Alkaloids Extraction Unit (Active Pharmaceutical Ingredient) herein after referred to as the said activity/business).


And whereas the lessee has agreed to take the lease on the said terms and conditions. Now, therefore, this deed witnesses and it is hereby agreed and declared as follows:-

1. It is agreed upon that the referred Undeveloped land is allotted to the Lessee for the operations of business referred herein, under the provisions of the Madhya Pradesh Rajya Audyogik Bhumi Evam Bhawan Prabandhan Niyam 2019 (As amended 2022) issued by the Government of Madhya Pradesh vide Industrial Policy and Investment Promotion Department's order No. F-17-26-2019/A-11, Dated 27.07.2022 (herein after called as "Rules").

2. That all the provisions of and terms & conditions as referred to in the said Rules shall always be applicable and binding on the Lessee.

3. (i) In consideration of the premium, lease rent, development charges and maintenance charges herein reserved and the covenants on the part of the lessee herein contained, the lessor shall demise to the lessee and the lessee shall accept a lease of the said Undeveloped land/building to hold the same for the Industrial Activity of Setting up a Phytochemical/Alkaloids Extraction Unit (Active Pharmaceutical Ingredient) for a period of NINETY NINE YEARS commencing on the date of agreement on which the possession of said Undeveloped land/premises is handed over to the lessee.

(ii) The Lessee shall use the aforesaid demised Undeveloped land/premises, exclusively for the Industrial Activity mentioned hereinabove and the Lessee shall not be entitled to use the land/demised premises for any other purposes whatsoever.





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

(iii) Without prejudice to the aforesaid Clause 3(ii) mentioned hereinabove, it is hereby made clear that the Lessee shall not be entitled to carry on any such Industrial Activity from the demised premises, which has been regulated by any General or Special Law in force or regarding which any license/permission sanction is required under any General or Special Law in force, without first following the concerned regulations and/or without prior obtaining the license/permission/sanction, as may be required under the relevant concerned Law.

4. The Lessee having paid the following amount to the Lessor for the said land:-

i) Premium of Rs. 80,20,320/- (Rs. Eighty Lakh Twenty Thousand Three Hundred Twenty) Only.

ii) Advance Annual Lease Rent Rs. 1,60,406/- (Rs. One Lakh Sixty Thousand Four Hundred Six) Only.


iii) Development charges Rs. 0/- (Rs. NIL) only.

iv) Advance one year annual maintenance Charges Rs. 0/- (@-NIL-PerSq.mtr)(Rs. NIL) only.

v) Three years annual lease rent as Security Deposit Rs. 4,81,218/- (Rs. Four Lakh Eighty One Thousand Two Hundred Eighteen) Only.

5. Thereafter, during the term of the lease the lessee shall with respect to the demised Industrial Undeveloped Land, pay to the lessor, the annual Lease Rent @ Rs. 1,60,406/- (Rs. One Lakh Sixty Thousand Four Hundred Six) only. p.a. and annual maintenance charges @ 0 Rs. NIL/- (Rs. NIL) only and/or such other sum or at such other rates, as may be determined in accordance with the said Rules, in the month of April each year in the office of the MPIDC Regional Office through online portal or such place or places as the Managing Director/ Executive Director may direct from time to time. In case of any delay in payment of the due Lease Rent and or Maintenance Charges by the Lessee, simple interest @10% p.a. shall also be payable by the Lessee on the aforesaid due amount/s, from the date when they become due till the actual payment by the Lessee.

6. The lessee hereby agrees to pay the maintenance charges at the rates as may be fixed/ revised from time to time by the lessor/ concerned Authority.





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

7. The lessee shall from time to time and at all times during the term of the lease pay except as aforesaid, all taxes, rates, assessments and other charges, which are or may, at any time hereafter during the said term be assessed, charged or imposed upon the said land/premises, whether on the lessor or on the lessee.

8. All sums, such as due amount of premium, lease rent, development charges and maintenance charges or any other charges imposed by the lessor, may be recovered as arrears of land revenue, if the same are not paid before the respective due date or there after along with interest @ 10% per annum as mentioned hereinabove.

9. The lessee hereby agrees that he shall implement the project for the said Industrial Activity and start the production/ commence the operation within the stipulated period, as prescribed in the said Rules, failing which, action for cancellation of allotment for land/shed and termination of Lease Deed shall be undertaken.

10. The lessee further agrees that he shall utilize the land as per norms and within the prescribed period from the date of execution of lease deed or the date of taking over of the possession of land, failing which, action would be initiated for cancellation of allotment and termination of Lease Deed.

11. On the expiry of the lease period, the lessee shall pay 2% of the then prevailing premium amount in case of developed land and in case of undeveloped land, lessee shall pay 1% of the, market value of the land, assessed on the basis of the then prevailing un irrigated agriculture land, as per the Collector Market Value Guide Line, for the concerned area for the renewal of the lease. Further, at the time of renewal of lease, the lease rent will be increased by ten times of the existing lease rent or prevailing lease rent whichever is less.

12. The lessee shall be entitled to surrender the land and obtain refund of premium strictly as per the provisions of the Rules. In case, building/other assets have been constructed on the said land, the lessee shall have the right to remove & sale the assets at his/their own cost. In the event of sale of such assets, the purchaser shall have to execute a fresh lease deed after the





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

payment of full premium and other charges/dues as per the Rules.

13. The lessee shall not undertake any construction activity without obtaining necessary approval of maps, building permissions & plans, as also all other permissions/sanctions/approvals/ objections, required for the construction/project from the respective concerned competent authority.

14. The Lessee shall use the said premises, land and building structures and works erected or constructed thereon only for the purpose of the business stated herein above.

15. The lessee shall keep the said premises, land and building erected thereon secure and in good condition through maintenance and upkeep at his own cost. The lessee shall also develop his own parking arrangements on the land/building allotted and shall not park the vehicles on the road. Any activity of the lessee which may cause or is causing inconvenience to nearby allottee in proper functioning of their activities can be ground to cancel of the lease deed of lessee.

16. The development and maintenance works in the Industrial Area will be done by the lessor according to its plan which will be completed as early as possible, depending on availability of funds.

17 (A) For Industrial land

The Lessee shall not acquire any title, proprietary right or claim in the demised land/premises, through this deed and nothing contained in this Lease Deed shall mean or create any title, proprietary right or claim whatsoever, in the demised land/premises, in favour of the Lessee. The lessee shall not sublet, assign or otherwise transfer the said premises/land or any part thereof or any building constructed thereon for any purpose whatsoever, except as provided in the said Rules.

18. On the basis of change in the constitution of ownership of the unit, the Lessee may with the prior permission of the lessor in writing and by paying the required fee/charges, transfer the lease as per the provisions of the said Rules.





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

19. The lessee shall not carry on any illegal trade or business on the said land/premises.

20. For closure/transfer of the business, Lessee shall inform the Lessor at the earliest. In the case of NCLT or declared sick units or court cases, allotting authority will take decision as per the directions.

21. Without prejudice to the right of the Lessor to recover from the Lessee, any amount due or unpaid, with or without interest as the case and without prejudice to the right of the Lessor to avail any other simultaneous remedy against the Lessee, in terms of this Deed and in accordance with the Rules, this Lease Deed and the consequent lease of the demised land/premises to the Lessee, shall be deemed to have been terminated, on the happening/occurrence of any or more of the following events;

(a) If the lease rent hereby reserved or revised time to time or any part thereof, or any other charges or dues payable by the Lessee, shall at any time be in arrears and remain unpaid for a period of one year or more, next after the date when the same shall have become due, whether the same shall have been lawfully demanded by the Lessor or not or whether a demand notice in this respect has been issued by the Lessor or not and an order communicating the termination of lease has been issued against the Lessee;

(b) The Lessee becomes insolvent and/or being a firm/company goes into liquidation, voluntarily or otherwise; or enters into an arrangement/agreement with his/its creditors for composition of the industry, or in case of Lessee being a Partnership Firm, the Lessee Firm is dissolved for reasons whatsoever;

(c) The demised premises/land is attached by any authority for any reason whatsoever;

(d) There is a breach, non-observance or non-compliance, regarding any of the terms and conditions contained herein in this Deed or a breach of any of the provisions of the Rules or any applicable law in force, by the Lessee and the Lessee fails to rectify or remedy the said breach, within a period of sixty days of the notice in writing issued against the Lessee in this respect by the Lessor.





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

(ii) If the lease is terminated as aforesaid, then the Lessor may, notwithstanding the waiver of any previous dues and without prejudice to any other right or remedy available to the Lessor including the right to recover the dues of whatsoever nature, take recourse to right of re-entry upon the said demised land/premises and re-enter and take back its possession, as if this demise had not been made.

22. On the expiry of the lease period or termination of the lease due to breach of the conditions of the lease deed or the Rules, the lessor shall have the right of re-entry over the land/premises.

23. On termination/surrender of the lease, the lessee shall be given an opportunity to transfer or otherwise dispose of the building, plant and machinery and any other construction on the said premises within the period of three months after the said three months' period, the lessor shall take back the possession of the land/premises as per Rules.

24. Lessee may surrender the leased area in part or whole, by serving upon the lessor, three calendar months' prior notice in writing of his intention to do so. The lessor shall have the right of re-entry over the surrendered land/premises. On such re-entry, the lessor may refund to the lessee part of the premium paid by the lessee at the time the land was allotted/leased out to the lessee in the following manner:-

(i) 90%, if surrender of allotted/leased land occurs within two years from the date of taking over its possession in case of Micro/Small Scale Industrial Unit and three years from the date of taking over its possession in case of Large/Medium Industrial units and warehousing and logistic projects,

(ii) 80%, if surrender of allotted/leased out land occurs after two years but within three years from the date of taking over its possession, in case of Micro/Small Scale Industrial Unit and after three years, but within four years from the date of taking over its possession in case of Large/Medium Industrial units and warehousing and logistic projects.

(iii) 70%, if the surrender of the allotted/leased out land occurs after three years but within four years from the date of taking over its possession in case





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh


of Micro/Small Scale Industrial Unit and after four years but within five years from the date of taking over its possession in case of Large/ Medium Industrial unit and warehousing and logistic projects.

(iv) 50%, if the surrender of the allotted/leased out land occurs after four years but within six years from the date of taking over its possession in case of Micro/Small Scale Industrial Unit and after five years but within seven years from the date of taking over its possession in case of Large/Medium Industrial unit and warehousing and logistic projects.

Explanation:—For the purpose of this clause, the period of possession of land with the lessee will be reckoned from the date of the lessee taking possession to handing over possession to the lessor. Where possession of land has not been taken over by the Lessee, the time period available to the Lessee for the surrender of land/premises, as mentioned above shall be calculated from the date of execution of the lease deed, for the purpose of calculation of refund of premium.

25. All costs and expenses incurred or which may be incurred for preparation, execution and registration of this lease shall be borne and paid by the lessee. The lessee shall, after execution and registration of the lease deed, deposit a copy of lease deed, duly certified by the registering authority, with the lessor and may retain original copy with him.

26. The Lessee shall be entitled to avail finance/loan facility from any scheduled bank/financial institution in accordance with the provisions of the Rules and for the said purpose shall be entitled to assign the said land in favour of such Bank/Financial Institute, only to the extent his/its Lease Hold Rights in the said land, as referred to in the Rules. It is hereby made clear that such assignment of the Lease Hold Rights shall not mean or include, the assignment of the demised land and/or the assignment of any buildings/shed/structures which may be existing on the demised land, prior to the execution of the lease deed in favour of the Lessee, whether constructed by the Lessor or not and any finance arrangement/loan facility availed by the Lessee from any bank/financial institution, shall always be subject to this Lease Deed and all the terms and conditions contained herein as also subject to all the provisions of the Rules. In all circumstances, the





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

charge of the Govt. of MP, Department of Industrial Policy & Investment promotion on land/shed shall be over and above any subsequent charges to be created.

27. Consequent to the infringement / breach of any of clauses of the lease deed or the Rules, by lessee, the allotting authority will serve a notice to the lessee for the compliance of concerned clause/s of lease deed/provisions of the Rules (i.e. rectification of breach) within 60 days and in case of non compliance of this notice, the lease deed shall be deemed to have been terminated.


28. The lessee, if aggrieved by any order passed by the Allotting Authority, may prefer an appeal to the designated authority with appropriate fee within a period of 90 days as per the provisions of the said Rules.

29. The allotting authority to which the powers of allotment have been delegated will also be competent to terminate the lease deed on behalf of the lessor.

30. This lease deed will be subject to the provision contained in the Madhya Pradesh Rajya Audyogik Bhumi Evam Audyogik Bhawan Prabandhan Niyam, 2019 (As amended 2022) and Industrial Policy and Investment Promotion Department's order No. F-17-26-2019-A11 dated 27.07.2022 and as amended from time to time. For amendments subsequent to the execution of this lease deed the lessee shall be bound to amend the lease deed incorporation such amendment on his own cost.

31. The lessee shall comply with all Acts, Rules and Regulations of State Government./Central Government/Local Bodies/any other competent authority, in force from time to time for the operation of industrial activity/business from the demised premises.

32. The lessor shall not be liable to compensate any loss on account of any accident occurred or damage caused to any other persons/labour/workmen/third party etc. due to the operations being carried out by the lessee in the allotted premises.





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

33. The lessee, being a proprietorship entity intending to avail the option available in the said rules, here by nominates Shri/Smt/Ku... N.A.... S/o/D/oN.A..... resident of N.A. as its sole successor of the said business. In the event of death of the lessee, such nominated person shall be accepted by the lessor, as lessee automatically for the remaining period of lease.


34. The partners in the lessee unit intending to avail the option available in the said rules, hereby nominate the following persons, their sole successors respectively, in the said partnership entity owing the said business:-
Name of the partner Nominee Father's name Resident of
In the event of death of a partner, respective nominated person shall be accepted by the lessor, as partner on his behalf in the lessee partnership entity for the remaining period of lease, automatically. However, if any of the original partners has ceased to be a partner in the lessee partnership entity at any point of time, such nomination exercised by him shall become null and void automatically.

35. The Lessee shall not restrict the entry of the Lessor or any person authorized by the Lessor, in the demised premises and shall provide all information sought, in writing by the Lessor or its authorized person.

36. That the 'Lessee' shall indemnify and hold harmless, the 'Lessor' against any claims damages or any legal actions whatsoever, initiated against the 'Lessor' and arising out of and by virtue of any act, misdeed, offence, unlawful or illegal activity on the part of the 'Lessee' or non payment of any dues, duties, taxes or cess etc. payable by the 'Lessee', or any other cause attributable to the Lessee.

37. That any notice to be served upon the 'Lessee', under and by virtue of the provisions of the agreement, shall be deemed to have been properly served, if addressed to the 'Lessee' and if delivered at its address herein above mentioned, unless the 'Lessee' has given proper notice to the Lessor, regarding the change of such address.

38. That notwithstanding any other agreement, deed or exchange of letters or discussions, hitherto exchanged between the parties, in the matter of the lease of the aforesaid Land/Premises, the terms of this lease agreement & the





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

provisions of the said Rules alone, shall prevail and bind the parties. No term of this lease agreement shall be modified or altered, except by a document in writing, executed by both the parties. All the documents and annexures, annexed with this deed, shall always remain a part and parcel of this deed and shall be read as a whole.

39. The Lessee hereby expressly and specifically agrees and consents that only the competent Courts of Law, within the territorial jurisdiction of which, the demised land/premises/building is situated shall have the exclusive jurisdiction to hear, decide and adjudicate upon any dispute, matter or issue, with respect to this Deed or any of the terms or conditions contained herein or with respect to the applicability, interpretation, performance or non-performance of any the provisions of this Deed or the Rules, arising between the Parties to this Deed and it is further expressly agreed that the jurisdiction of all other Courts shall be specifically barred. In case any Appeal/Revision/Writ Petition needs to be preferred, then the Hon'ble High Court of M.P. at Jabalpur or its concerned Benches at Indore & Gwalior, within the jurisdiction of which the demised land/premises/building is situated, shall only have the jurisdiction to hear, decide and adjudicate upon the same.

SCHEDULE

Name of Village : JANAKPUR
Name of Tehsil : JAWAD
Name of District : NEEMUCH

Undeveloped Land: SURVEY NO. 625/1, 626, 632/2/2
Total area: 18.02 Hectare

Bounded By :-

On The East: GOVT. LAND
On The West: GOVT. LAND
On The North: MAIN ROAD
On The South: GOVT. LAND





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

WITNESS WHERE OF, the parties hereto have put their ink, seal and signatures on these presents on this 25th Of JANUARY Year 2024 at Neemuch out of their own free will and consent and without any fear, coercion and pressure.

Signed For & On Behalf Of
Governor of M.P.
Through Executive Director
MPIDC R.O. Indore
The 'Lessor' Through Its
(Authorized Signatory)

Signed For & On Behalf Of
M/S.SUNLITE ALKALOIDS PVT. LTD.
(DIRECTOR)
(MR. NIKHIL BANSAL)

-----Please turn over/कृपया पृष्ठ पलटिये।-----





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

| संपत्ति आईडी | 27131202410217498 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| संपत्ति का प्रकार | कृषि भूमि | | | | | | |
| संपत्ति का सीमा चिन्ह : | -- | | | | | | |
| संपत्ति का पता : | SURVEY NO. 625/1, 626, 632/2/2 Village JANAKPUR Tehsil JAWAD District NEEMUCH | | | | | | |
| विकास खण्ड (विकास खंड) : | -- | | | | | | |
| राजस्व निरीक्षक वृत्त : | -- | | | | | | |
| लेआउट का विवरण : | -- | | | | | | |
| नजूल / शीट क्रमांक : | -- | | | | | | |
| भूखण्ड क्रमांक : | -- | | | | | | |
| खसरा का विवरण और चतुर्सीमा का विवरण | | | | | | | |
| खसरा क्रमांक | खसरा क्षेत्रफल | लगान / भूमि राजस्व (रूपये) | ऋण पुस्तिका क्रमांक | उत्तरी सीमा | दक्षिण सीमा | पूर्व सीमा | पश्चिम सीमा |
| 626 | 2.42 | 00 | Not Applicable | MAIN ROAD | GOVT. LAND | GOVT. LAND | GOVT. LAND |
| 632/2/2 | 14.5 | 00 | Not Applicable | MAIN ROAD | GOVT. LAND | GOVT. LAND | GOVT. LAND |
| 625/1 | 1 | 00 | Not Applicable | MAIN ROAD | GOVT. LAND | GOVT. LAND | GOVT. LAND |
| अतिरिक्त अपलोड | | | | | | | |
| k_0_0.jpg | | | | | | | |
| k_1_1.jpg | | | | | | | |





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| जिला | नीम | | | | | |
| तहसील | जाबद: | | | | | |
| शेख प्रखर | ग्राम - शेख | | | | | |
| उप शेख प्रकार | मान प्रसन्न शेख | | | | | |
| पटवारी हकका / मांस | पटवारी हकका 32 | | | | | |
| ग्राम / मोहनवा / कालोनी | जन्तपुर | | | | | |
| क्या एक से अधिक शेखा है? | नहीं | | | | | |
| क्या शेखा एक ही खेतखत के है? | नहीं | | | | | |
| शेखाओं की संख्या | 0 | | | | | |
| क्या आप अपने हितों का खुलासा करना चाहते हैं? | नहीं | | | | | |
| क्या कृषि भूमि पर वेड है? | नहीं | | | | | |
| शक्ति 1 : व्याख्यान | | | | | | |
| शेख का विवरण (हेक्टेयर) | | | | | | |
| भूमि का कुल क्षेत्रफल | अव्यक्त भूमि का क्षेत्रफल | व्यवसायिक भूमि का क्षेत्रफल | औद्योगिक भूमि का क्षेत्रफल | शिक्षा संस्थानों के लिए आवंटित क्षेत्र | सामान्य इकाइयों के लिए आवंटित क्षेत्र | अन्य क्षेत्र |
| 18.02 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 |
| क्या कृषि भूमि पर खोई निर्माण है? | | | | | | नहीं |


प्रॉपर्टी पर लागू उपबंध

क्या कृषि भूमि मुख्य जिला मार्ग या अन्य जिला मार्ग पर स्थित है - हाँ



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| कुल मुद्रांक एवं छूट | | | |
| छूट मुद्रांक शुल्क (रु) | 0.0 | छूट पंजीयन शुल्क (रु) | 0.0 |
| कुल देय शुल्क (रु) | 449941.0 | कुल देय पंजीयन शुल्क | 306778.0 |
| प्रीमियम की राशि (रु) | 8020320.0 | | |
| औसत वार्षिक किराया (रु) | 160406.0 | | |





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh


हेतु कि यह दस्तावेज़ के साथ प्रेषित की जा रही है, दस्तावेज़ के अर्द्ध 38076809 एवं 4 - नया नंबर
D1012724012024018881 अर्द्ध, प्रेषित हुए अधिसूचित हुए नहीं करते हैं, नए से / जो Sunlite Alkaloids Private Limited
का दस्तावेज़ के लिए ही ही नहीं है।

यह दस्तावेज़ / दस्तावेज़ के प्रमाण
का नया नंबर का नया

MR. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
LIMITED REGIONAL OFFICE, INDORE
AUTHORIZED MR. P.P. VISHWAKARMA, GENERAL
MANAGER IN-CHARGE

यह दस्तावेज़ / दस्तावेज़ के प्रमाण
का नया नंबर का नया

FOR SUNLITE ALKALOIDS PVT LTD


DIRECTOR
M/S. SUNLITE ALKALOIDS PVT LTD, ACTING
THROUGH MR. NISHU BANJAL S/O SHREE
AGARWAL DIRECTOR AND HAVING ITS
REGISTERED OFFICE AT SAI RESIDE, 1ST,
1ST FLOOR, PATEL PLAZA, NEZADUR CITY,
BOMBAY (M.P.)

यह दस्तावेज़ / दस्तावेज़ के प्रमाण
का नया नंबर का नया

पते 1 नं नं
का
प्रमाण
अर्द्ध के लिए ही ही नया

पते 2 नं नं
का
प्रमाण
अर्द्ध के लिए ही ही नया

DHEERAJ Kumari s/o sayam
Prasad Ji Shannia Age
33 years A10 ward No 07
sonyana
5206 9875 8855

Bhishma s/o Mahendra
Age 42 years 210 Mo
Khamka Gusi neezahat
Dhansi
5285 9828 3977





Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh





संश्लेषण सूची

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 25/01/2024 को क्रमांक
MP279462024A1100954 से कर किया गया है। जिसमें 40 फुट समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क: 449941

पंजीयन शुल्क: 306778

प्रतिरिपि शुल्क: 0

अधिक: 0

योग: 306778



SHISHIR KUMAR DODIYA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय, नीबघ

